RNI - MPBIL/2008/26448

डाक पंजीयन– म.प्र./भोपाल/4–167/2024–26

नवलय अनुबोध

आषाढ़–श्रावण, युगाब्द 5126, वर्ष 17 अंक 05, प्रेषण तिथि 15 जुलाई 2024, पृष्ठ 36
मूल्य 25/– रु., प्रकाशन तिथि 14 जुलाई 2024, ISSN No. 2456 - 0499

रजत जयंती वर्ष

195 वां अंक

संसद अंक

उन्नति और खुशहाली की ओर निरंतर बढ़ते कदम

मध्यप्रदेश सरकार के 180 दिन

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सुशासन से समृद्धि

- प्रधानमंत्री जी द्वारा साइबर तहसील परियोजना प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू। नामांतरण, बंटवारा आदि विभिन्न राजस्व प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की पहल करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनियंत्रित आवाज का प्रयोग प्रतिबंधित
- खुले में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबन्ध
- यातायात सुगमता के लिए भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का निर्णय
- जिलों, संभागों, तहसीलों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए पृथक प्रशासनिक ढांचाई पुनर्गठन आयोग बनाने का निर्णय
- उज्जैन शहर के केंद्री गेट से इमली तिराहा मार्ग चौड़ीकरण के लिये 23 धार्मिक स्थलों को हटाने के लिये व्यवस्थापकों, पुजारियों और नागरिकों द्वारा सहयोग कर साम्प्रदायिक सौहार्द का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत
- निजी स्कूलों द्वारा कोर्स की किताबें, यूनिफार्म एवं अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए पालकों पर अनुचित दबाव डाले जाने के मामले में मुख्यमंत्री द्वारा स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश
- 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को मिला पात्रतानुसार उच्च पद
- बालाघाट के कमकोदार में हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को खत्म करने वाले 24 शासकीय पुलिस सेवकों का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन
- पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 25 हजार मकान बनाने का लक्ष्य
- मध्यप्रदेश में आयी अपराधों में कमी, थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य तेजी से जारी
- 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर डीम्ड अनुज्ञा प्राप्त करने और 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों पर त्वरित अनुज्ञा प्रदान करने की व्यवस्था लागू
- दो चरणों में राजस्व महाअभियान चलाकर 30 लाख 48 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण
- प्रदेश के सभी बोरवेलों की जानकारी रखने हेतु शासन द्वारा पोर्टल तैयार। खुले बोरवेलों को बंद करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय
- सभी संभागों में समीक्षा बैठकों के दौरान बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास
- शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि से 46% हुआ डीए

समावेशी शिक्षा से संवरता कल

- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के अंतर्गत 8 विश्वविद्यालयों में अधोसंरचना तथा अन्य विकास कार्यों के लिए ₹400 करोड़ स्वीकृत
- हर जिले में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ₹485 करोड़ के निवेश से 55 जिलों में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में उन्नयन। इन कॉलेजों में 1750 शैक्षणिक एवं 369 तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद सृजित
- पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को बहुसंकायी बनाने एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु 7 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय एवं 55 महाविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत, बायोटेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस विषय प्रारंभ
- पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम टेड पॉलिसी (CRISP) के माध्यम से 8 रोज़गारोन्मुखी स्किल-आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन
- आईआईटी हैदौर के सहयोग से उज्जैन में निर्मित देश के प्रथम शोध-आधारित नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवात्मक विद्यार्जन केंद्र (द्रीप-टेक रिसर्च और डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस) का उद्घाटन
- सरगोन में ₹170 करोड़ से क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन
- 369 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज़ विद्यालयों का संचालन
- विश्वविद्यालयों के कुलपति को कुलगुरु कहे जाने का निर्णय
- सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ
- आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से होगा सागर में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश
- अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ने के लिए 12 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ एम.ओ.यू.
- विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं की अंक सूची एवं उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू
- व्यावसायिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का एकीकरण कर 35 व्यावसायिक विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश
- इंजीनियरिंग-मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग स्टूडेंट की स्टेट लेवल पर परीक्षा का निर्णय, केंद्र के नर्सिंग एक्ट के अनुसार राज्य में आयोग गठित होगा। भविष्य में नर्सिंग संस्थाओं को मान्यता राष्ट्रीय आयोग देगा
- शिक्षा में गुणवत्ता के लिये भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा के विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना
- पायलट ट्रेनिंग के लिए विश्वविद्यालयों में कोर्स शुरू होगा
- एमपी बोर्ड 12वीं में 75 फीसदी अंक पाने वाले करीब 90 हजार छात्रों को लैपटॉप के लिए दी जायेगी ₹25-25 हजार की राशि
- सागर, सरगोन और गुना में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना
- शासकीय महाविद्यालयों में कृषि को एक विषय के रूप में जोड़ा गया

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

- प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट कर समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की संवेदनशील पहल के तहत पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ
- कार्य दक्षता के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय
- आयुष्मान भारत योजना में 3 करोड़ 99 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित। अब तक 38 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार
- जिला अस्पताल एवं सिविल अस्पतालों को एक-एक शव-वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय
- सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ, मंदसौर, बालाघाट, श्योपुर एवं खजुराहो में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय
- सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय
- चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने का निर्णय। मेडिकल कॉलेजों के साथ नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत
- स्वास्थ्य संस्थाओं में 46 हजार 491 नये पदों (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति
- स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन के लिये स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सीय विलेयनों के 607 पदों पर पूर्ति सीधी भर्ती से कराने की मंजूरी

सशक्त बनती नारी शक्ति

- लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 29 लाख बहनों के खातों में जनवरी से अभी तक ₹9 हजार 455 करोड़ से अधिक की सहायता राशि का अंतरण
- लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत दिसंबर 2023 से अभी तक 73 हजार 880 लाड़ली बालिकाओं के खाते में ₹34 करोड़ की छात्रवृत्ति का अंतरण
- 45 लाख 89 हजार बहनों के खातों में ₹450 में गैस सिलिंडर की रीफिलिंग के लिए ₹118 करोड़ का अंतरण
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत 3 चरणों में अब तक 88 लाख से अधिक निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये
- महिला स्व-सहायता समूहों को दी गयी ₹9 हजार 560 करोड़ से अधिक की सहायता

युवा कल्याण के सतत् प्रयास

- सरकारी नौकरियों के लिए चयनित 11 हजार से अधिक उम्मीदवारों को सौंपे गए नियुक्ति-पत्र
- स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल के तहत, प्रदेश के स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों से सहभागिता के लिए ₹50 हजार से लेकर डेढ़ लाख तक वित्तीय सहायता का प्रावधान
- राज्य स्तरीय 'रोज़गार दिवस' के अवसर पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को ₹5 हजार करोड़ का स्व-रोज़गार ऋण वितरित
- अग्निवीर योजना में युवाओं का अधिक से अधिक चयन हो, इस उद्देश्य से 360 घंटे प्रशिक्षण देने का लक्ष्य
- मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में फरवरी 2024 में 8 हजार प्रशिक्षणार्थियों को ₹6 करोड़ 60 लाख का स्टाइपेंड वितरित

"हमारा उद्देश्य है कि सरकार उपलब्ध संसाधनों के साथ जनहितैषी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करे। प्रदेश को विकास के पथ पर निरंतर आगे ले जाना और सुशासन को सच्चे स्वरूप में धरातल पर उतारना ही हमारा लक्ष्य है"
- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

जनहितैषी जनसम्पर्क द्वारा जारी

D16008/24

नवलय का मासिक प्रकाशन

नवलय अनुबोध

वर्ष 17 अंक 05, जुलाई -2024

संपादक
आशीष शर्मा

संपादक मण्डल
दीपक भसीन, राकेश कुमार जैन,
डॉ. पूर्णिमा दाते,

प्रबंधक
अनिल नेमा

प्रकाशक व मुद्रक
राकेश कुमार जैन

स्वामित्व
नवलय
54, जोन-2, महाराणा प्रताप नगर,
भोपाल - 462011
E-mail :
navalayaanubodh@gmail.com
Web.: www.navalaya.org
फोन : 9425005033, 9425011865

प्रेषण व्यवस्था
सत्येन्द्र श्रीवास

मुद्रण
श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स,
एस–बी– लोअर ग्राउण्ड, विजय स्तम्भ, भोपाल
फोन : 0755–4235459

मूल्य : रू 25/-
वार्षिक शुल्क : रू 300/-
द्विवार्षिक शुल्क : रू 500/-

ISSN No. 2456 - 0499

मासिक पत्रिका

नवलय अनुबोध का इंटरनेट संस्करण हमारी वेबसाइट :
www.navalaya.org पर उपलब्ध है।

सम्पादकीय	04
अभिमत	05
नज़रिया	06
कैसे बनता है अधिनियम एक विधेयक ?	07
कैसे चलती है सदन की कार्यवाही?	08
क्या हैं असंसदीय शब्द ?	09
पुराना और नया संसद भवन	10
सांसदों का निलंबन...	11
संसद की कैंटीन	12
हर मिनिट ढाई लाख रूपये का...	13
संसदीय इतिहास के कीर्तिमान विमर्श	14
नवलय गतिविधि	
शालिगराम तोमर स्मृति समारोह...	15
लोकसभा सचिवालय	23
लोक सभा में हास-परिहास	24
सबसे अधिक बार के सांसद..	25
संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 का...	26
सबसे अधिक अवधि तक सत्ता की जिम्मेदारी	26
प्रजातंत्र पर कटाक्ष- प्रमोद महाजन	27
सबसे युवा सांसद	27
संसद में शेर शायरी	28
यह भी हुआ लोक सभा में	28
भारतीय संसद पर हमला	29
संसदीय विशेषाधिकार	30
राष्ट्रीय दल	31
संसद की सुरक्षा में एक और सेंध	31
पेपर लीक और नीट	32
संदर्भवश	33

प्रस्तुत विचार लेखकों के अपने विचार हैं। नवलय अनुबोध का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है

सम्पादकीय

संसद का शाब्दिक अर्थ है किसी विशेष प्रयोजन के लिए गठित अनेक लोगों का समुदाय, निकाय, आधुनिक भारत में राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति का संयुक्त रूप, कानून बनाने वाली सर्वोच्च सभा, सभा, मंडली, समाज या एक यज्ञ जो 24 दिन का होता था. नया संसद भवन और नव निर्वाचित संसद सदस्य अठारहवीं लोक सभा के सदस्य चुने गए हैं. देश के भविष्य को अगले पांच साल तक निर्धारित करने वाली इस सभा को केंद्र में रखकर ही है इस बार का यह संसद अंक.

प्रजातंत्र आशाओं और आकांक्षाओं का सामूहिक प्रकटीकरण है. एक साफ सुथरा चुनाव, जाति धर्म से दूर, प्रत्याशी का गुणवत्ता के आधार पर चयन इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु हैं. विचारणीय विषय यह है कि जब राजनैतिक दल ही चुनाव क्षेत्र में विभिन्न जातियों से समीकरण के आधार पर प्रत्याशी का चयन करती हैं, तो हम कितने दूर हैं उस लक्ष्य से जिसे हमने संविधान के प्रारम्भ के 4 शब्दों ''हम भारत के लोग'' में चिन्हित किया है.

यह अंक तथ्यों का संकलन है, जो संसद और सांसदों पर केंद्रित है, कब बना लोक सभा भवन से लेकर, सांसदों के सदन में व्यवहार और नैतिकता का मूल्यांकन करेगा. स्पष्ट है कि चर्चा होगी, तुलमोहन राम की, कॅश फॉर वोट की, संसद में समर्थन जुटाने के लिए अनैतिक तरीकों की, विपक्ष या प्रतिपक्ष की भूमिका क्या हो ? क्या रचनात्मक प्रतिपक्ष और हंगामे में कोई अंतर है ? क्यों इतना मुश्किल है मिल बैठकर देश हित में फैसले लेना ? क्यों पूरी व्यवस्था विन्सेंट चर्चिल के उन शब्दों को सिद्ध करने में लगी है जो उन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने की बात पर कही थी ? अड़ोस पड़ोस के देशों में देखें तो एक संतोष का भाव उपजता है जहाँ एक बहुभाषी, बहुसंस्कृति के देश में चुनाव और प्रजातंत्र को स्थापित रखना हमारी उपलब्धि है. एक वोट से केंद्र की सरकार के मुखिया के शब्द ''मैं संख्या बल से सामने सर झुकाता हूँ, हमारे मानस पटल पर अंकित हैं. लेकिन इस गौरव और संतोष के क्षणों में अदम गोंडवी के शब्दों को भूलना एक भूल होगी, जब वे कहते हैं ''पक्के समाजवादी हैं तस्कर हों या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, आजादी का वो जश्न मनाएं तो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में, पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, संसद बदल गई है यहां की नखास में''.

चुनाव तक कीचड की फाग क्षम्य है. गिरावट की नयी सीमायें, व्यवहार, भाषा और तिकड़म ही चुनाव का नाम है, यह हताशा अकारण नहीं है. पूर्ण बहुमत की सरकारों की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पलटने और पिछली तारीख से लागू करने, किसी रात को देश को इमरजेंसी में धकेलने की घटनाएं भी इस देश ने देखी हैं. सरकारें बनने के बाद, पार्टी के अंतर्विरोध और अब विदेशी षड्यंत्रों के प्रमाण जो देश को अस्थिर करते हैं और जनआंकाक्षाओं के नाम पर रेवड़ी बाँट कर सत्ता में बने रहने का क्रम कितना कल्याणकारी है और कितना दूरगामी है, यह दृश्य न केवल भय उत्पन्न करता है बल्कि प्रजातंत्र की मूल भावना के विपरीत है. एक अच्छी आर्थिकी और राजनीति के बीच संतुलन आवश्यक है. लोक सभा के ध्येय वाक्य ''सत्यमेव विजयते नानृतम्'' अर्थात सत्य ही सदैव विजयी होता है, असत्य नहीं की भावना के अनुरूप कितने कदम हम और हमारे सांसद चल पाए हैं पिछले 7 दशकों में, इसपर विवेचना होगी इस अंक में.

यह अंक संकलन है कुछ आंकड़ों का, लोक सभा में बढ़ती धनपतियों की संख्या, अपराधियों की संख्या और जिस देश में मतदाता की आयु 18 वर्ष हो, उसके प्रतिनिधियों की आयु वर्ग पर भी चर्चा होगी, बात होगी लोक सभा मतदान क्षेत्रों के जैसे विषयों पर भी. संसद और सांसदों पर केंद्रित यह अंक पाठकों के लिए सूचना के स्त्रोत के साथ पूरे मामले पर एक अंतर्दृष्टि विकसित करने का नवलय का छोटा लेकिन ईमानदार प्रयास है.

नवलय अनुबोध की संचालक संस्था 'नवलय' अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गई है. 'काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया जाता हूँ', अटल बिहारी वाजपेयी के इन शब्दों की भावना के साथ, जब डेढ़ दशक की अवधि में बड़ी बड़ी पत्रिकाएं काल के कपाल से मिट गयी हैं, नवलय परिवार विनम्रता से इस पुलक, इस संतोष के क्षण अपने पाठकों से साँझा करता है कि रजत वर्षगाँठ के हमारे जून 2024 अंक का विमोचन एक भव्य समारोह में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया. समारोह का विवरण इस अंक में समाहित है. नवलय परिवार आभारी है सभी पाठकों के स्नेह और सम्बल का, हमारे लेखकों, मुद्रक और संचार व्यवस्था के उत्तरदायी सभी सहयोगियों का. ■

प्रस्तुत अंक पर पाठकों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी.

वर्मा

कालजयी कथन

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।
वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा ।।

अर्थात सैकड़ों में कोई एक शूर–वीर होता है, हजारों में कोई एक विद्वान होता है, दस हजार में कोई एक वक्ता होता है और दानी लाखों में कोई विरला ही होता है. ■

अभिमत

अराजकता की संसद

–राकेश कुमार जैन

देश में 18 वीं लोकसभा के गठन के बाद आयोजित पहले सत्र ने इस बात का आभास करा दिया है कि आगामी 5 साल लोकसभा में कैसे बीतेंगे। लोकसभा में एक ओर पिछली लोकसभा से 63 सीटें कम लाने से हतोत्साहित और सत्तारूढ़ होने के लिए गठबंधन करने को मजबूर भाजपा थी। दूसरी ओर अपनी सीटों की संख्या 99 तक पहुंच जाने से जीत की मुद्रा अपनाए कांग्रेस थी, जिसके तेवर उस उच्श्रृंखल बालक जैसे दिखाई दिये जो लगातार अनुत्तीर्ण होने के बाद अपने नम्बर 8 से बढ़कर 18 प्रतिशत पा लेता हो। इस दम्भतापूर्ण विजयी (?) भाव ने मानो विपक्षी दल के इन नेता को संसद में मनमानी करने का मौका दे दिया। अध्यक्ष की आसंदी की ओर पीठ करके संबोधन करने, अध्यक्ष के निजी संस्कारों को लेकर टीका टिप्पणी करने, देश की सेनाओं के ही एक अंग अग्निवीर को ''यूज एन्ड थ्रो'' बताना, मनाही के बावजूद संसद में धार्मिक चित्रों, प्रतीकों को लहराना, प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान अपने सदस्यों को शोर मचाने, नारे लगाने और उन्हें आसंदी के पास पहुंचने के लिये इशारे करने जैसे कृत्य संसद में पहले कभी देखने को नहीं मिले। विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले प्रदर्शन के दौरान, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उन्हें नियमावली बताने, बार बार अपनी उच्श्रृंखलता के लिये डांट खाने के दृश्य लोकसभा के नहीं बल्कि किसी स्कूल/कालेज के प्रतीत हो रहे थे। बार बार संविधान की प्रति लहराकर उसकी रक्षा करने की घोषणा करने वाले ये उत्साही नेता अपने और अपनी पार्टी के अतीत से अनभिज्ञ नजर आये। जिस पार्टी ने सत्तारूढ़ रहते संविधान में अनेकों संशोधन कर डाले, न्यायालय द्वारा चुनाव अवैध घोषित कर देने से बौखलाकर देश में आपातकाल की घोषणा कर लाखों की संख्या में विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 18 माह जेल में निरुद्ध किया, लोकसभा के कार्यकाल के पूरा होने के बाद इसको बढ़ाकर, विपक्ष के जेल में बंदी रहते हुऐ, संविधान की प्रस्तावना तक को बदल डाला, न्यायालय के निर्णय को अप्रभावी करने के लिये शाहबानो प्रकरण में, संसद का इस्तेमाल कर कानून में संशोधन कर डाला, केन्द्र में अपनी सरकार के रहते सैकड़ों बार, चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर धारा 356 का अनावश्यक उपयोग किया, ऐसे कृत्यों के कर्ता दल और उसके नेता द्वारा संविधान की रक्षा करने का संकल्प, निरी निर्लज्जता नहीं तो और क्या है ? जिन गुरुनानक देव की तस्वीर वे संसद में लहराते हैं उनके सैकड़ों अनुयायियों को उनकी दादी की मौत के बाद, दिल्ली में सड़कों पर उनके दल के लोगों द्वारा कत्लेआम करने के दृश्य और उसपर उनकी पार्टी के नेताओं का यह कहना कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो उपकी चपेट में कुछ अनहोनी हो जाती है, वे भले ही भूल चुके हों पर देश अभी भूला नहीं है।

विपक्षी नेता के इस तेवर से उत्साहित होकर ही उनके सदस्य प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान पूरे समय शोर मचाते हुए मणिपुर के नारे बुलंद करते रहे। उस मणिपुर के जहां खुद उनकी पार्टी, केन्द्र में सत्तासीन रहते हुए अनेक बार राष्ट्रपति शासन लगा चुकी थी। ध्यानाकर्षण के लिए नारे लगाना संसद में आम बात है पर प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को न सुनना, किस जनतंत्रीय परम्परा की परिधि में आता है ? सत्र के दौरान हैदराबाद के एक सांसद द्वारा शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाना भी अराजकता की श्रेणी का था, खासकर उस सदस्य के लिए जो 'भारत माता की जय' के नारे लगाने को भी उनके धर्म के अनुसार नाजायज मानता हो।

नई लोकसभा में विपक्ष का दृश्य कुछ ऐसा दीख पड़ता है मानो जीत के लिए वे सबकुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। इस दांव में जातिगत जनगणना के द्वारा भेदभाव उत्पन्न करने, झूठे आंकड़े देकर किसानों को उकसाने, प्रदेश में किसी एक दल के साथ शत्रुवत व्यवहार करने और केन्द्र में उसी दल के साथ एकजुटता जाहिर करने जैसे कृत्य शामिल है।

आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने और निरन्तर विकास की राह पर अग्रसर होने के नाते चिन्ता इस बात की है कि क्या संसद में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने तलवारें खींचता रहेगा या राष्ट्रहित के मुद्दों पर एक होकर जनहितकारी नीतियां बनाकर एक परिपक्व जनप्रतिनिधि का सपना साकार करेगा। आज सत्तारूढ़ दल का भी यह फर्ज है कि वह किसान बिल, अग्निवीर, आरक्षण नीति, सीएए या अन्य विषयों पर विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं का निराकरण कर देश के समक्ष भी वास्तविकता रखे। विपक्ष को वह अपना दुश्मन न समझे बल्कि उसके साथ मित्रवत व्यवहार करे और उन्हें भी देश के विकास में सहभागी होने का अहसास दिलाये। कांग्रेसमुक्त भारत या विपक्षविहीन संसद की अवधारणायें किसी भी सूरत में प्रजातांत्रिक नहीं कही जा सकती न ही यह भारतीय संस्कृति के उन मूलतत्वों से मेल खाती हैं, जिसकी संरक्षक होने का दावा भाजपा करती है।

हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि विश्व में सबसे विशाल आबादी के साथ प्रजातंत्र को बरकरार और अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी सभी दलों के साथ हम आम नागरिकों की भी है और हमें इस प्रजातंत्र, साथ ही समरस व समतामूलक समाज की ओर बढ़ते कदमों को किसी भी कीमत पर बनाये रखना है। ■

– मो. 9425005033 Email- bankchetna@gmail.com

नज़रिया

खोट चयन में है

– दीपक भसीन

चुभते से प्रश्न हैं, क्या कोई ईमानदार व्यक्ति, बिना धन के भारत में पार्षद या पंच विधायक या सांसद का चुनाव लड़ सकता है ? उत्तर है नहीं. क्या कोई राजनैतिक दल टिकट के अभ्यर्थी की जाति देखे बिना, किसी चुनाव क्षेत्र से उसे अपनी पार्टी का टिकट देता है ? उत्तर है, नहीं.

वाद–विवाद और संवाद से ही लोकतंत्र चलता है। विरोधी मत को उचित मान देना लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही यही है कि वह विरोधी विचार को सहने की शक्ति देता है और विविधता को संरक्षण देता है। अनौचित्य को टोकना जनप्रतिनिधियों का ही नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक का भी फर्ज है, पर टोकने, विरोध दर्ज करने का तरीका भी शिष्ट होना चाहिए। सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सांसदों से यही अपेक्षा रहती है कि वे तमाम विरोधों के बावजूद संसदीय और राजनीतिक शिष्टाचार को कायम रखेंगे, किंतु अक्सर वे इस पर खरे नहीं उतरते। यदि यह संसदीय शिष्टाचार कायम रहता तो संसद में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती. भारत में संवाद और शास्त्रार्थ की लंबी परंपरा रही है। सरमा–पणि, विश्वामित्र–नदी, यम–यमी, यमराज–नचिकेता, शिव–पार्वती, अगस्त्य–लोपामुद्रा, गरुड़–काकभुशुंडी, पुरुरवा–उर्वशी, अर्जुन–कृष्ण संवाद महत्वपूर्ण माने गए हैं।

संवाद की वह परंपरा इतनी प्रभावी रही है कि युद्ध से भागते हुए अर्जुन से कृष्ण युद्ध करा लेते हैं। इसी तरह शंकराचार्य का काशी में मंडन मिश्र के साथ हुआ शास्त्रार्थ इतिहास प्रसिद्ध है। शंकराचार्य ने अपने से आयु और अनुभव में काफी बड़े विद्वान मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। उसके बाद पूरे भारत का भ्रमण कर मीमांसा, सांख्य, चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन के अनुयायी विद्वानों के साथ भी शास्त्रार्थ किया। इस तरह वह जगद्गुरु कहलाए। संवाद और शास्त्रार्थ की पुरानी परंपरा में यह सामान्य मान्यता थी कि तथ्यों की अनदेखी नहीं होगी, मिथ्यारोप नहीं लगेंगे, चरित्र हनन नहीं होगा।

इसके विपरीत आज हम देखते हैं कि संसद, विधानसभाओं, राजनीतिक दलों की रैलियों, सभाओं और प्रेस वार्ताओं में विपरीत मत वालों के विरुद्ध तथ्यों की अनदेखी, मिथ्यारोप और चरित्र हनन एक प्रवृत्ति बनती जा रही है। विपरीत मत वालों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह राजनीति की गरिमा और मर्यादा को बार–बार क्षत–विक्षत करता है। इसके एक नहीं, बल्कि अनेक उदाहरण हैं। रमेश बिधूड़ी का पिछली लोक सभा में भाषण इसका उदाहरण हैं.

अभी हाल में देश को राष्ट्रपति के रूप में मिलीं पहली आदिवासी महिला के लिए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वह किस राजनीतिक संस्कृति का द्योतक है? सार्वजनिक संवाद के क्षरण की रही–सही कसर न्यूज चैनलों की बहसों ने पूरी कर दी है। वहां प्रतिदिन प्रतिभागी आपस में जिस तरह भिड़ते हैं, एक–दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं उससे कई बार आशंका होती है कि अब हाथापाई पर उतर आएंगे। और तो और कुछ एंकर भी प्रतिभागियों से उलझ पड़ते हैं। ऐसे मीडियाकर्मियों से निष्पक्ष और सार्थक बहस की उम्मीद बेमानी है। कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में संवाद जिस तरह दूषित और स्तरहीन होता जा रहा है, वह चिंतित और विचलित करने वाला है।

एडीआर के विश्लेषण के अनुसार, साल 2009 से आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या में 55 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. इस साल जीतने वाले 251 उम्मीदवारों में से 170 (31 प्रतिशत) पर हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

नए चुने गए सांसदों में से 46 फीसदी पर आपराधिक प्रहमाकरण दर्ज हैं. शैक्षणिक योग्यता को देखें तो वर्तमान लोक सभा में निरक्षर भट्टाचार्य केवल एक सांसद जनता दल यूनाइटेड से हैं. 543 सांसदों में अधिकाँश कॉलेज से स्नातक और स्नातकोत्तर हैं लेकिन 105 सांसदों ने अपनी शिक्षा पांचवीं से बारहवीं तक बताई. दलों के आधार पर, भाजपा के 240 सांसदों में 64 स्नातक और 49 स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षित हैं. कांग्रेस के 99 सांसदों में 24 स्नातक 27 स्नातकोत्तर और 21 व्यावसायिक रूप से दक्ष हैं. लोक सभा में सांसदों की बढ़ती औसत उम्र और उनमें धनाढ्यों की बढ़ती संख्या उस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती जहाँ मतदान की आयु 18 वर्ष और औसत वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है. निश्चित ही खोट चयन में है. ■

– मो. 9425011865. Email : deepak_bhasin35@hotmail.com

सांसदों के वेतन और भत्ते

लोकसभा द्वारा मिले आंकड़ों की मानें तो सांसदों को वेतन के रूप में हर महीने 50,000 रुपये, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 45,000 रुपये, कार्यालय खर्च के रूप में 15,000 रुपये और सचिवीय सहायता के रूप में 30,000 रुपये दिये जाते हैं. इस प्रकार सांसदों की प्रति माह सैलरी 1.4 लाख रुपए होती है. इसके अलावा सांसदों को सालभर में 34 हवाई यात्राओं और असीमित रेल और सड़क यात्रा के लिए सरकारी खजाने से धन दिया जाता है. ■

कैसे बनता है अधिनियम एक विधेयक ?

विधेयक किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है। अधिनियम बनने से पूर्व विधेयक को कई प्रक्रमों से गुजरना पड़ता है।

विधान संबंधी प्रक्रिया विधेयक के संसद की किसी भी सभा – लोक सभा अथवा राज्य सभा में प्रस्तुत किये जाने से आरम्भ होती हैं। विधेयक किसी मंत्री या किसी गैर–सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर विधेयक सरकारी विधेयक और गैर–सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर गैर–सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक के प्रभारी सदस्य के लिए विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि सभा विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे दे तो विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। यह प्रक्रम विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। यदि किसी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो अध्यक्ष अपने विवेकानुसार, विधेयक के प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को और प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को स्पष्टीकरण के लिए संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुमति दे सकता है। जब विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति का इस आधार पर विरोध किया जाये कि विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायी शक्ति से परे है तो अध्यक्ष उस पर पूरी चर्चा की अनुमति दे सकता है। तत्पश्चात, इस मामले को सभा के मतदान के लिए रखा जाता है। हालांकि किसी वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक की प्रस्तुति हेतु अनुमति के प्रस्ताव को उसी समय सभा के मतदान के लिए रखा जाता है।

विधेयक प्रस्तुत किये जाने के बाद राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। कोई विधेयक अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुति से पूर्व भी राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में विधेयक को सभा में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मांगी जाती है और विधेयक सीधे प्रस्तुत कर दिया जाता है। किसी भी सभा में विधेयक प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् संबंधित सभा का पीठासीन अधिकारी जांच तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु इसे संबंधित समिति को भेज सकता है।

यदि किसी विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाता है तो समिति उस विधेयक के आम सिद्धांतों और खण्डों पर विचार करेगी और उस पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। समिति संबंधित विषय पर विशेषज्ञ की राय अथवा विषय में अभिरूचि रखने वाले लोगों की राय भी ले सकती है। विधेयक पर इस प्रकार से विचार किए जाने के पश्चात् समिति सभा को अपना प्रतिवेदन सौंपती है। समिति के प्रतिवेदन का स्वरूप प्रत्ययकारी होने के कारण उसे समितियों के सुविचारित परामर्श के रूप में लिया जाता है।

द्वितीय वाचन में विधेयक को दो प्रक्रमों में बांटा जा सकता है। पहले प्रक्रम में विधेयक पर सामान्य चर्चा होती है जब विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा की जाती है। इस प्रक्रम में सभा विधेयक को सभा की प्रवर समिति या दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंप सकती है अथवा उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित कर सकती है या उस पर सीधे ही विचार कर सकती है। यदि कोई विधेयक प्रवर/संयुक्त समिति को सौंपा जाता है तो समिति सभा के समान विधेयक पर खण्डवार विचार करती है। समिति के सदस्य विभिन्न खण्डों पर संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति उस विधान में दिलचस्पी लेने वाले संगठनों, सार्वजनिक निकायों अथवा विशेषज्ञों का साक्ष्य भी ले सकती है। विधेयक पर इस प्रकार विचार किये जाने के बाद समिति अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करती है जो समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर पुनः विचार करती है। यदि किसी विधेयक को उस पर राय जानने के लिए परिचालित किया जाता है तो ऐसी राय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से प्राप्त राय को सभा पटल पर रखा जाता है। तत्पश्चात् विधेयक के बारे में अगला प्रस्ताव उसे प्रवर/संयुक्त समिति को भेजने के लिए होना चाहिए। इस चरण में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना साधारणतः अनुमन्य नहीं होता। दूसरे पराक्रम में विधेयक (या प्रवर/संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित रूप में विधेयक, जैसी भी स्थिति हो) पर खण्डवार विचार किया जाता है।

विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर चर्चा होती है और इस प्रक्रम में खण्डों पर संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी खंड पर प्रस्तुत किए गए परन्तु वापस नहीं लिए गए संशोधनों को सभा द्वारा संबंधित खंड का निपटान किए जाने से पहले सभा में मतदान के लिए रखा जाता है। सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा बहुमत से स्वीकार करने के पश्चात् संशोधन विधेयक का अंग बन जाते हैं। खंडों के पश्चात् अनुसूचियां यदि कोई हों तो, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम सभा द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् विधेयक का द्वितीय वाचन पूरा हो जाता है।

इसके पश्चात् प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक पारित किया जाये। यह विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। इस प्रक्रम पर वाद–विवाद विधेयक के समर्थन या अस्वीकृति के लिए दिये गये तर्कों तक ही सीमित रहता है और विधेयक के ब्यौरों का उतना ही उल्लेख किया जाता है जितना कि नितान्त आवश्यक हो। इस प्रक्रम में केवल औपचारिक, शाब्दिक अथवा पारिणामिक संशोधन ही गृहीत किये जाते हैं। किसी सामान्य विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का केवल साधारण बहुमत आवश्यक होता है। किन्तु संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक के लिए सभा की समस्त सदस्य–संख्या के

बहुमत तथा प्रत्येक सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत की आवश्यकता होती है। एक सभा द्वारा विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद इसे सहमति प्रदान करने के संदेश के साथ दूसरी सभा को भेजा जाता है और वहां भी उसे प्रस्तुति के चरण को छोड़कर उपरोक्त सभी चरणों से गुजरना पड़ता है।

जिन विधेयकों में विशेष रूप से करों के अधिरोपण तथा उत्सादन, संचित निधि में से धन के विनियोग आदि से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोक सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्य सभा, लोक द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन कर उसे वापस नहीं भेज सकती। यद्यपि, यह धन विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकती है, परन्तु उसे प्राप्ति की तिथि से चौदह दिन के भीतर सभी धन विधेयक लोक सभा को लौटाने होते हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा की किसी सिफारिश अथवा सभी सिफारिशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना लोक सभा पर निर्भर करता है। यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकृत करती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों और लोक सभा द्वारा स्वीकृत रूप में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है। यदि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों में से किसी को स्वीकार नहीं करती, तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये किन्हीं संशोधनों के बिना लोक सभा द्वारा पारित रूप में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जाता है। यदि लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा की सिफारिशों के लिए उसके पास भेजा जाता है और यदि राज्य सभा चौदह दिन की निर्धारित अवधि के भीतर धन विधेयक नहीं लौटाती तो विधेयक उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् संसद की दोनों सभाओं द्वारा लोक सभा द्वारा पारित रूप में पारित समझा जाता है। ■

कैसे चलती है सदन की कार्यवाही?

सदन सुबह 11 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे बंद हो जाता है. 11 से 6 बजे तक जो भी काम सदन के अंदर होते हैं, उसे ही सदन या सभा की कार्यवाही कहते हैं. इस कार्यवाही को दो खंड में बांट दिया जाता है, पहली पाली और दूसरी पाली. पहली पाली भोजनावकाश से पहले और दूसरी पाली भोजनावकाश के बाद. ठीक उसी तरह जैसे स्कूल में कक्षाएं चलती हैं, भोजनावकाश के पहले और भोजनावकाश के बाद. सदन की पहली पाली 11 बजे से 1 बजे तक की होती है, वहीं दूसरी पाली 2 से 6 बजे तक की होती है. जबकि 1 बजे से 2 बजे तक का समय लंच के लिए होता है, जिसे संसदीय भाषा में भोजनावकाश कहते हैं. भोजनावकाश से पहले, यानी पहली पाली में सदन में दो चीज होती हैं, प्रश्न काल और शून्य काल.

प्रश्नकाल क्या है ? सामान्य तौर पर लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की बैठक का पहला घंटा, 11 बजे से 12 बजे तक, सवालों (प्रश्नों) के लिए होता है. इस एक घंटे को ही प्रश्न काल कहते हैं. सदन की कार्यवाही में प्रश्न काल का विशेष महत्व होता है. इस दौरान संसदीय सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा में) व विधायक (विधानसभा में) प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर सवाल कर सकते हैं. सत्ता पक्ष को सदन में इन सवालों का जवाब भी देना होता है. इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रश्न काल ऐसा समय होता है, जब सरकार को कसौटी पर उतारा जाता है. इस दौरान हर एक मंत्री अपने प्रशासनिक कृत्यों में भूल चूक के संबंध में भी उत्तर देना होता है. सदन में सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से किया जा सकता है.

प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का रोचक हिस्सा है. किसी भी संसदीय सदस्य की ओर से किए गए प्रश्न में सामान्यतः जानकारी मांगी जाती है और किसी विशेष विषय पर तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी कई बार प्रश्न पूछने वाले सदस्यों और उत्तर देने वाले मंत्रियों के बीच जीवंत और त्वरित हाजिरजवाबी देखने को मिलती है.

सदन में सरकारी कामकाज पर प्रकाश डालने के लिए पिछले 70 सालों से इसी उपकरण (प्रश्नकाल) का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रश्नकाल के दौरान सवालों ने हमेशा सरकारी कामकाज के बारे में डेटा और जानकारी को सार्वजनिक डोमेन पर लाने और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने में मदद की है. प्रश्न काल की पद्धिति भारत ने यह इंग्लैंड से ग्रहण की है, जहां सबसे पहले, 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी. भारत में सदन में प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 में भारतीय परिषद् अधिनियम के तहत हुई. आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध लगे थे. हालांकि, आजादी के बाद उन प्रतिबंधों का खत्म कर दिया गया.

प्रश्न काल में चार तरह के प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न, आतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न. तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं सदन में किसी सदस्य की ओर से पूछे गए वैसे सवाल जिसका वह मौखिक उत्तर चाहता हो और पहचान के लिए उस पर तारांक बना रहता है, वह तारांकित प्रश्न होता है. जब प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है तो उस पर पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं. एक दिन में 20 से ज्यादा तारांकित प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं. वहीं, एक सदस्य अधिकतम 5 प्रश्न कर सकता है. यह प्रश्न हमेशा सरकारी सदस्य (मंत्री परिषद में शामिल सदस्य) से पूछे जाते हैं.

अतारांकित प्रश्न वे प्रश्न हैं जिसका सदन में

मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है, और ना ही उस पर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं. अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है. लिखित उत्तर के लिए एक दिन में 230 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं. इस प्रकार के प्रश्न गैर सरकारी सदस्य, मंत्री परिषद में शामिल सदस्य से पूछते हैं. अल्प सूचना प्रश्न भी महत्व का आयाम है. सदन में तारांकित या अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए सभा के सदस्यों को कम से कम 10 दिन पहले इसकी सूचना सभा के महासचिव को देनी होती है, लेकिन अल्प सूचना प्रश्न कम समय की सूचना पर भी पूछे जा सकते हैं. तारांकित प्रश्न की तरह, इसका भी मौखिक उत्तर दिया जाता है, जिसके बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं. अल्प सूचना प्रश्न भी गैर सरकारी सदस्य द्वारा मंत्री परिषद में शामिल सदस्य से पूछे जाने वाला प्रश्न होता है. अब तक हमने जाना सदन में पूछे जाने वाले तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना प्रश्न के बारे में. ये वे प्रश्न होते हैं जो गैर सरकारी सदस्य, सरकारी सदस्यों से पूछते हैं, लेकिन सदन में निजी सदस्यों यानी गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं. गैर सरकारी सदस्य वे होते हैं जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं. ये प्रश्न उस स्थिति में पूछे जाते हैं जब वे किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिये उत्तरदायी होते हैं. सभा में प्रश्न पूछने के दौरान कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है जो सदन की मर्यादा होती है. सदन में वैसे ही प्रश्नों को लिया जा सकता है जो लोक महत्व से जुड़े हुए हों, लेकिन इसमें अनुमान, व्यंग, आरोप–प्रत्यारोप और मान हानिकारक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, ना ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत दोषारोपण किया जा सकता है.

सदन में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहते हैं, यानी प्रश्नकाल के बाद का एक घंटा शून्यकाल होता है. शून्यकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न की सूचना पहले से देने की जरूरत नहीं होती है. इसमें तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं. यह वह समय होता है जब सभा में सदस्यों की ओर से तत्काल सार्वजनिक मुद्दे उठाए जा सकते हैं. हालांकि, इसमें भी कुछ शर्त और नियम होते हैं. शून्य काल में किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए सुबह 10:00 बजे से पहले सभा के अध्यक्ष को उसे संबंध में नोटिस देना होता है. नोटिस में उस मुद्दे का जिक्र होना जरूरी है, जिसे सदस्य सभा में उठाना चाहते हैं. इसके बाद ही सदन के स्पीकर किसी मुद्दे को उठाने की अनुमति दे सकते हैं या फिर उसे अस्वीकार कर सकते हैं. एक दिन में शून्यकाल के दौरान 20 मुद्दे उठाए जा सकते हैं. सदन में शून्यकाल का विशेष महत्व होता है. इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 'शून्यकाल' का जिक्र संविधान में नहीं है, फिर भी नागरिकों, मिडिया, सभा के सदस्यों और पीठासन से इसे पूर्ण समर्थन मिला है. शून्यकाल का नाम 1962 में लाया गया.

प्रश्नकाल और शून्य काल के बाद सदन की पहली पाली खत्म हो जाती है. इसके बाद समय आता है भोजनावकाश का, सदन में दोपहर 1.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक के लिए भोजनावकाश होता है. उसके बाद सदन की दूसरी पाली शुरू होती है. दूसरी पाली में नए– नए विषयों पर चर्चा का समय आता है. इसी समय ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली जाती हैं. इसी दौरान सभा पटल पर कई प्रस्ताव लाए जाते हैं. इन प्रस्तावों पर चर्चाएं होती हैं और इसी दौरान नए विधेयक भी पास किए जाते हैं.सदन में लाए जाने वाले प्रस्ताव और चर्चाएं कई प्रकार के होते हैं, जैसे – स्थगन प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव आदि. ■

क्या हैं असंसदीय शब्द ?

संसद में भाषायी शुचिता बनाये रखने के लिए कुछ शब्दों को संसद में उपयोग के लिए वर्जित किया गया है. ये शब्द हैं :

गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, अपमान, असत्य, अहंकार, काला दिन, काला बाजारी, खरीद–फरोख्त, चमचागिरी, दंगा, दलाल. दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संवेदनहीन, मूर्ख, पिट्ठू, बहरी सरकार, जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चाण्डाल चौकड़ी, गुल खिलाए, पिठ्ठू, कमीना, काला सत्र, खून की खेती, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गिरगिट, चरस पीते हैं, सांड, कांव कांव करना, तलवे चाटना, तड़ीपार, तुर्रम खां, कई घाट का पानी पीना और ठेंगा दिखाना. इसी प्रकार अंग्रेजी में प्रतिबंधित शब्दों की सूची जारी की गयी है.

लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया एवं आचार के नियम 380 के अनुसार 'अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान अपमानजनक या असंसदीय या अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो वे सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने का आदेश दे सकते हैं.' वहीं, नियम 381 के अनुसार, सदन की कार्यवाही का जो हिस्सा हटाना होता है, उसे चिन्हित करने के बाद कार्यवाही में एक नोट इस तरह से डाला जाता है कि अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक इसे हटाया गया. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. ऐसे ही प्रति वर्ष लगभग 15 से 20 नए शब्द असंसदीय भाषा के तौर पर जोड़े जाते हैं. इन शब्दों को अगर कार्यवाही के दौरान शामिल किया जाता है तो इसकी गिनती नहीं होती है. हर साल पिछले सत्र की कार्यवाही के आधार पर फैसला किया जाता है कि किन शब्दों को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा. ■

पुराना और नया संसद भवन

पुराने संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी, 1921 को महामहिम द ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। इस भवन के निर्माण में छह वर्ष लगे और इसका उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इर्विन ने 18 जनवरी, 1927 को आयोजित किया। इसके निर्माण पर 83 लाख रूपये की लागत आई। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। दिल्ली दरबार का आयोजन किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर किया गया था। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर को दिया गया, जो यूरोपीय शास्त्रीयतावाद के मजबूती से पालन के लिये जाने जाते थे और दक्षिण अफ्रीका के एक प्रमुख वास्तुकार हर्बर्ट बेकर थे। हर्बर्ट बेकर दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के वास्तुकार भी हैं। संसद भवन की इमारत लुटियंस और बेकर दोनों ने डिजाइन किया था।

सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक, राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र, को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही परियोजना है।

पुराने संसद भवन को पूर्ण लोकतंत्र के लिये द्विसदनीय विधायिका को समायोजित करने के लिये डिजाइन नहीं किया गया था। वर्ष 2026 के बाद सीटों की कुल संख्या पर रोक हटने पर लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 545 से काफी बढ़ने की सम्भावना के अनुरूप नए भवन की आवश्यकता महसूस हुई और आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किये गए नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ। इसके अतिरिक्त जल आपूर्ति और सीवर लाइन, एयर–कंडीशनिंग, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी कैमरे आदि जैसी सेवाओं को जोड़ने से कई स्थानों पर जल का रिसाव हुआ है जिसने भवनों की सौंदर्यता को प्रभावित किया था और इस भवन में अग्नि सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय था. पुरानी संसद में संचार अवसंरचना और प्रौद्योगिकी पुरातन थी तथा सभी हॉलों की ध्वनिकी में सुधार की आवश्यकता थी। इन वर्षों में आंतरिक सेवा गलियारों को कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप खराब–गुणवत्ता तथा कई मामलों में अधिक श्रमिकों को समायोजित करने के लिये उप–विभाजन के कारण ये कार्यस्थल कर्मचारियों के कार्य करने हेतु छोटे पड़ने लगे।

नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है, यह ऐसा इसलिये है क्योंकि जिस भूखंड पर बना है वह त्रिकोणीय है। इसका स्वरूप विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। इसका डिजाइन और सामग्री पुरानी संसद की पूरक है, साथ ही दोनों भवनों का एक परिसर है। हरित निर्माण तकनीकों का उपयोग के कारण निर्मित नए भवन में पुराने भवन की तुलना में विद्युत की खपत में 30% की कमी आने की उम्मीद है। इसमें वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणालियों को शामिल किया गया है। यह अधिक स्थान की उपलब्धता हेतु डिजाइन किया गया है, साथ ही यह अगले 150 वर्षों तक कार्य करने में सक्षम है। चूँकि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है, इसलिये इमारत को भूकंप–रोधी बनाया गया है। नए लोकसभा कक्ष में एक मोर विषयवस्तु को अपनाया गया है, जिसमें दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किये गए हैं, जो टील कार्पेट से सुसज्जित हैं। लोकसभा कक्ष में वर्तमान के 543 के बजाय 888 सीटें होंगी, जिसकी क्षमता बढ़कर 1,272 हो जाएगी। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाएगा।

राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बेंच पर दो सांसद बैठ सकेंगे और प्रत्येक सांसद की डेस्क पर टच स्क्रीन होगी। राज्यसभा कक्ष अब 250 की मौजूदा क्षमता के विपरीत 384 सांसदों को समायोजित कर सकता है। परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या में भविष्य में होने वाली किसी भी वृद्धि को ध्यान में रखकर दोनों कक्षों की क्षमता को पहले से अधिक किया गया है। नए भवन में एक संविधान सभागार बनाया गया है, जहाँ भारतीय लोकतंत्र की यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया है.

भवन के आंतरिक और बाहरी निर्माण के लिये देश भर से विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री लाई गई है, जिसमें धौलपुर के सरमथुरा से बलुआ पत्थर और राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के लाखा गाँव से ग्रेनाइट शामिल है। इसी प्रकार साज–सज्जा में प्रयुक्त लकड़ी नागपुर से लाई गई और मुंबई के शिल्पकारों ने इस पर वास्तुशिल्प डिजाइन का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के भदोही के बुनकरों ने भवन के लिये हाथ से बुने पारंपरिक कालीन बनाए हैं। मूल रूप से वर्ष 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की 16 फुट ऊँची काँस्य प्रतिमा को पुराने और नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है। यह अब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्रवेश द्वार के समीप पुराने भवन के सामने है। यह प्रतिमा छात्रों और संसद सदस्यों के विरोध, सभाओं और फोटोग्रऑप्स के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थल रही है। इस प्रतिमा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सुतार ने बनाया था। यह भवन राष्ट्रीय प्रतीकों से भरा हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को

भवन के शीर्ष पर स्थापित किया है जिसका वजन 9,500 किलोग्राम है और ऊँचाई 6.5 मीटर है। इस विशाल काँस्य प्रतिमा को सहारा देने के लिये सेंट्रल फोयर के शीर्ष पर 6,500 किलोग्राम की संरचना का निर्माण किया गया है। भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र और 'सत्यमेव जयते' शब्द पत्थरों पर अंकित किये गए हैं। स्वर्ण राजदंड या सिंगल को अंग्रेजो से सत्ता के हस्तांतरण को चिह्नित करने के लिये आजादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया स्वर्ण राजदंड (सेन्गोल) स्पीकर के पोडियम के पास नए लोकसभा कक्ष में रखा गया है. यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों द्वारा दिया गया था। नई संसद के पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के अनुसार सभी रिकॉर्ड – सदन की कार्यवाही, प्रश्न और अन्य व्यवसाय को डिजिटाइज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टैबलेट और आईपैड एक आदर्श प्रदर्शित करेंगे।

'शिल्प' नामक एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों की मिट्टी से बने मिट्टी के बर्तनों के साथ–साथ पूरे भारत के वस्त्र प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करेगी। गैलरी 'स्थापत्य' भारत के प्रतिष्ठित स्मारकों को प्रदर्शित करेगी जिनमें विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्मारक शामिल हैं। स्मारकों के अतिरिक्त यह योग आसनों को भी समाहित करती है। भारतीय संस्कृति और वास्तु शास्त्र में उनके महत्त्व के आधार पर भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर संरक्षक मूर्तियों के रूप में शुभंकर पशुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें हाथी, घोड़ा, चील, हंस और पौराणिक जीव शार्दुला और मकर शामिल हैं। नए संसद भवन के अंदर स्थापित एक फौकॉल्ट पेंडुलम है जिसे संसद के अक्षांश पर इसे एक चक्कर पूरा करने में 49 घंटे 59 मिनट और 18 सेकंड का समय लगता है। फौकॉल्ट पेंडुलम, जिसका नाम फ्राँसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फौकॉल्ट के नाम पर रखा गया है, इसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।पेंडुलम में एक भारी बॉब होता है जो छत में एक निश्चित बिंदु से एक लंबे, मजबूत तार के अंत में निलंबित होता है। जब लोलक झूलता है तब जिस काल्पनिक सतह पर तार और गोलक स्वाइप करते हैं, उसे दोलन का तल कहा जाता है। ■

सांसदों का निलंबन...

वर्ष 2023 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का ऐतिहासिक तौर पर निलंबन हुआ है. विपक्ष इस पर आगबबूला हुआ. वहीं सरकार ने इसे विपक्षी सांसदों के सदन में बर्ताव से जोडा. संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के चलते, गत वर्ष में 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. इसके पूर्व लोकसभा और राज्यसभा के 46–46 सांसद कल निलंबित किए गए थे. इसके बाद लोकसभा के 49 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किये गए. इसी के साथ सांसदों के निलंबन के सारे रिकार्ड टूट गए हैं, क्योंकि इससे पहले 1989 में एक दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था लेकिन यहां एक अकेले दिन 92 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया.

विपक्षी सांसद संसद सुरक्षा चूक मामले पर सदन में पीएम मोदी की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे. साथ ही विपक्षी सांसद इस मामले पर सदन में चर्चा और आरोपियों के लिए पास की सुविधा प्रदान करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. वहीं, सत्तापक्ष का कहना था कि विपक्ष संसद की कार्यवाही रोक समय बर्बाद कर रहा है. संसद की कार्यवाई में बाधा उत्पन्न करने वाले सांसदों के खिलाफ स्पीकर ने निलंबन का कदम उठाया गया. यह पहली बार हुआ जब दो दिन के भीतर 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है.

नरेंद्र मोदी सरकार में अलग–अलग समय पर लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर ने कुल मिलाकर 26 बार सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई की है. मोदी सरकार में कुल 282 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें 94 राज्यसभा सदस्य और 188 लोकसभा सदस्य शामिल थे. वहीं, मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 तक 43 सांसद निलंबित किए गए थे, जिसमें 7 राज्यसभा सदस्य और 36 लोकसभा सदस्य थे. इस तरह मनमोहन सरकार की तुलना में मोदी सरकार में कई गुना ज्यादा सांसदों का निलंबन हुआ है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सांसदों के निलंबन का आकड़ा ज्यादा रहा है. संसद में एक दिन में इतने सांसदों का निलंबन का यह रिकॉर्ड है. इससे पहले पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 1989 में 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. इस तरह 1989 में एक दिन में सस्पेंड होने वाले सांसदों की संख्या का रिकॉर्ड टूट गया है.

साल 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनके कार्यकाल में एक दिन 63 सांसदों को निलंबित किया गया था. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनी जस्टिस ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को 15 मार्च 1989 में संसद में पेश किया था. विपक्ष राजीव सरकार को बोफोर्स मुद्दे पर घेर रहा था और हंगामा कर रहा था. ऐसे में 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो अब तक का लोकसभा में सांसदों के निलंबन का एक रिकॉर्ड था. यह रिकॉर्ड शीतकालीन सत्र के 18 दिसंबर 2023 को 78 सांसदों के निलंबन के साथ टूट गया. हालांकि, तब और पूर्व समय के निलंबन में मुख्य अंतर यह है कि इन सांसदों को हफ्ते के बाकी बचे दिनों के लिए निलंबित किया गया था, जो कि तीन दिन था. जबकि इस बार, सासंदों को सदन के बाकी सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया गया है. ■

संसद की कैंटीन

जब संसद में कोई भी सत्र चलता है तो जितनी गहमागहमी हाउस में अंदर होती है, उतनी ही गहमागहमी संसद परिसर की कैंटीन में भी होती है. जहां कई दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं. वैसे संसद की कैंटीन कुछ महीने पहले भी चर्चाओं में थी. उसकी वजह थी सरकार द्वारा इसके खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने के लिए. पिछले कुछ सालों से संसद कैंटीन को लोग उसके बेहद सस्ते खाने के लिए याद किया करते थे. मीडिया में इसे लेकर अक्सर खबरें आती थईं लेकिन अब इसका खाना उतना सस्ता नहीं रह गया. अब वहां सभी खाने के आइटम्स की कीमतें बढ़ गईं हैं.

संसद की कैंटीन का अपना इतिहास है. ये आजादी के बाद से ही सांसदों और संसद परिसर कर्मचारियों के साथ यहां आने वाले तमाम तरह के प्रतिनिधिमंडल और मेहमानों की आगवानी अपने बढ़िया खाने से करती रही है. जिस समय देश आजाद हुआ, तब संसद की कैंटीन काफी छोटी और परंपरागत थी. गैस के चूल्हे भी उसमें बाद में आए. पहले लोकसभा का स्टाफ ही कैंटीन चलाने के लिए मुकर्रर था. अगर पुराने सांसदों की मानें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अक्सर इस कैंटीन में खाने के लिए आते थे. हालांकि बाद के सालों में धीरे धीरे कैंटीन की व्यवस्था बदलती चली गई. 60 के दशक में संसद की कैंटीन में आमूलचूल बदलाव हुआ. ईंधन के तौर पर एलपीजी का इस्तेमाल शुरू हुआ. कैंटीन को कहीं ज्यादा पेशेवर और बेहतर बनाने के उद्देश्य लोकसभा सचिवालय द्वारा खुद कैंटीन संचालित करने की व्यवस्था बंद करके भारतीय रेलवे को कैंटीन चलाने का जिम्मा सौंपा गया. 1968 से भारतीय रेलवे के उत्तरी जोन के आईआरसीटीसी ने कैंटीन का काम संभाल लिया. यह समय था जब कैंटीन बहुत सस्ती थी और खान–पान के लिए शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक उपलब्ध रहते थे.

संसद में एक मुख्य किचन है. यहां खाना बनकर तैयार होता है और संसद परिसर में बनाई गई पांच कैंटींस में उन्हें ले जाया जाता है. जहां खाना गर्म करने की पूरी व्यवस्था है. संसद की कैंटीन में भोजन की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो जाती है. कैंटीन स्टाफ अपना काम शुरू कर देता है. कैंटीन में कंप्युटर प्रिंटर से लेकर फर्नीचर और चूल्हे से लेकर खाने और परोसने से जुड़ा हर सामान लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है. वर्ष 2008 के आसपास कई बार पाइप लाइंस में गैस लीक और उपकरणों में आ रही गड़बड़ी के चलते कैंटीन में ईंधन की पूरी व्यवस्था ही बदल दी गयी. अब यहां खाना पूरी तरह बिजली के उपकरणों पर ही पकता और बनता है. कैंटीन की व्यवस्थाओं और क्वालिटी को देखने का काम सांसदों से जुड़ी एक समिति करती है. वो बीच बीच में इसके लिए दिशा निर्देश भी तय करती है. जब तक आईआरसीटीसी संसद की कैंटीन को चला रही थी, तब तक वो इसके लिए करीब 400 लोगों का स्टाफ रखती थी. जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो कैंटीन में करीब 5000 लोगों का खाना पकता है. खाने को आमतौर पर 11 बजे तक तैयार कर दिया जाता है. फिर इसे मुख्य कैटीन से परिसर की दूसरी कैंटीन में ले जाया जाता है. पिछले साल तक कैंटीन में कुल 90 तरह के खानपान के आइटम उपलब्ध रहते थे. जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का नाश्ता होता है. लेकिन अब कैंटीन को भारतीय पर्यटन विकास निगम यानि आईटीडीसी द्वारा संचालित किया जा रहा है. अब इसमें खाने की आइटमों की संख्या घटाकर 48 कर दी गई है। कैंटीन के जरूरी खाद्य सामग्री अनाज, दलहन, तेल, घी, मसाले आदि की खरीदी केंद्रीय भंडार से की जाती है तो रोज सब्जी, फल संसद परिसर के करीब स्थित मदर डेयरी से आते हैं. मीट के लिए कैंटीन का तय वेंडर होता है. वहीं दूध दिल्ली दूध स्कीम के जरिए रोज वहां आता है. बाहर से आने वाली खाद्य सामानों की संसद परिसर के गेट पर कड़ी चेकिंग होती है. उसे एक्सरे मशीनों की जांच से निकलना होता है. कैंटीन में परोसी जाने वाली मिठाइयां पहले बाहर से टेंडर करके मंगाई जाती थीं.

संसद की कैंटीन में सत्र के दौरान काफी गहमागहमी और लंबी लाइन देखने को मिल जाती है लेकिन आम दिनों में यहां भीड़ कम हो जाती है. आमतौर पर अब यहां सरकारों के मंत्री भी कैंटीन में कम दिखते हैं. पुराने सांसद बताते हैं कि 80 के दशक तक यहां कैंटीन में मंत्री/प्रधानमंत्री भी अक्सर आ जाते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ष 2014 में कैंटीन में खाना खाने गए. उससे पहले नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वे यहां आया करते थे. इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं थीं तो यहां नजर आ जाती थीं तो पीवी नरसिंहराव प्रधानमंत्री बनने से पहले सांसद और मंत्री रहने तक यहां नियमित दिख जाते थे.

संसद की कैंटीन में खानपान का जिम्मा अब आईटीडीसी के एक्सपर्ट शेफ ने संभाल लिया है. ये अशोक होटल ग्रुप्स से जुड़े रहे हैं. आईटीडीसी दिल्ली में कनॉट प्लेस के करीब वेस्टर्न कोर्ट की कैंटीन का जिम्मा भी संभालती है. ■

लोक सभा में सदस्यों की संख्या

लोक सभा में सीधे चुनाव और राज्य सभा में अप्रत्यक्ष चुनाव से से आने वाले सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य सभा में 12 सदस्य सदन में नामित कर सकते हैं जो विज्ञान, कला और समाज कल्याण के क्षेत्रों में अपने योगदान के चिन्हित हों. 5 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली हैं जिनपर चुनाव नहीं कराया जाता. इसी प्रकार कश्मीर विधान सभा में पाक अधिकृत कश्मीर से 24 सीट खाली रखी गयी हैं. ■

हर मिनिट ढाई लाख रुपये का खर्च है संसद पर

संसद में एक घंटे की कार्यवाही पर लगभग 1.5 करोड़ रुपया यानि हर मिनट की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपया खर्च होता है. कल्पना की जा सकती है कि संसद के दोनों सदनों में होने वाले बॉयकाट और हंगामे से जनता का कितना पैसा बर्बाद हो जाता है. मोटे तौर पर देखा जाए तो संसद में सालभर के तीन सत्रों में छह से सात काम के होते हैं. इनमें भी अगर अवकाश और सप्ताहांत के दिनों को निकाल दें तो दो से तीन महीने और कम हो जाते हैं. इस हिसाब से सालभर में वास्तविक काम के दिन 70–80 ही होते हैं. लेकिन इतने दिन भी संसद चल नहीं पाती. 1982 ही एकमात्र ऐसा वर्ष था जब हमारी संसद 80 दिन चल पाई थी. संसद में कामकाज सुबह 11 बजे शुरू होता है और आमतौर पर शाम छह बजे तक चलता है. लेकिन यह निश्चित नहीं है. कभी कभी शाम को देर तक कार्यवाही चलती रहती है. इसमें दोपहर में एक बजे से लेकर दो बजे तक का समय लंच का होता है लेकिन कभी कभी लंच का समय बदला भी जा सकता है या खत्म किया जा सकता है. यह स्पीकर पर निर्भर करता है. शनिवार और रविवार के दिन संसद में कार्यवाही नहीं चलती, ये दिन सप्ताहांत अवकाश के होते हैं. संसद का बजट सत्र – फरवरी से लेकर मई, मानसून सत्र – जुलाई से अगस्त–सितंबर और शीत सत्र – नवंबर से दिसंबर तक निर्धारित है.

खर्च का हिसाब करें तो लोकसभा के पिछले शीतकालीन सत्र पर हुआ कुल खर्च – 144 करोड़ रुए, प्रतिदिन कार्यवाही का समय – छह घंटे, शीतकालीन सत्र में संसद चली – 90 घंटे, प्रति घंटे का खर्च – 1.44 करोड़ रुपए, संसद को एक घंटे चलाने की लागत – 1.6 करोड़ रुपए और संसद के प्रति मिनट का खर्च –1.6 लाख रुपए आता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 जनवरी से 9 फरवरी और 5 मार्च से 6 अप्रैल तक दो चरणों में चले बजट सत्र में कुल मिलाकर 190 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हुए. यानि अगर इसकी खर्च की गणित पर जाएंगे तो संसद चलने पर आई प्रति मिनट लागत तीन लाख रुपए से ज्यादा होगी. संसदीय आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 2016 के शीत कालीन सत्र के दौरान करीब 92 घंटे व्यवधान की वजह से बर्बाद हो गए थे. इस दौरान करीब 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जिसमें 138 करोड़ रुपये संसद चलाने का खर्च और 6 करोड़ रुपये सांसदों के वेतन, भत्ते और आवास का खर्च शामिल हैं. पीआरएस लेजिस्लेटिव के डाटा के अनुसार मौजूदा साल बजट सत्र का दूसरा चरण छह अप्रैल तक चला. इसमें लोकसभा में 14.1 घंटे और राज्यसभा में मात्र 11.2 घंटे ही बजट पर चर्चा हुई. काम के घंटों के लिहाज से साल 2000 से अब तक यह सबसे खराब बजट सत्र रहा. वैसे कुल मिलाकर बजट सत्र के दोनों चरणों में लोकसभा में सिर्फ 33.6 घंटे और राज्यसभा कुल 53.2 घंटे काम हुआ. यह पैसा सांसदों के वेतन के रूप में, सत्र दौरान सांसदों को मिलने वाले भत्तों के रूप में, संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च के रूप में, संसद सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन के रूप में और सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर खर्च के रूप में होता है. संसद केवल 1982 में ही 80 दिन चल पाई थी. उसके बाद से इसका रिकॉर्ड खराब ही होता गया है

पिछले कुछ वर्षों के बजट सत्रों से तुलना की जाए तो आमतौर पर बजट सत्र में बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित घंटों के करीब 20 फीसद या 33 घंटे बहस होती है. साल 2018 के बजट सत्र में कुल 21 फीसद (लोकसभा) और 31 फीसद (राज्यसभा) में काम हुआ. आंकड़ों के मुताबिक 2010 का शीतकालीन सत्र प्रोडक्टिविटी के लिहाज से सबसे खराब सत्र रहा था. इसके बाद 2013 और 2016 के संसद सत्रों का नंबर आता है. 2010–2014 के बीच संसद के 900 घंटे बर्बाद हुए, तो सोचिए कितना पैसा बर्बाद हुआ है. संसद में हंगामा होने से आम आदमी का ढाई लाख रुपए हर मिनट बर्बाद होता है. संसद की कार्यवाही के लिए जो इतने पैसे खर्च किए जाते हैं वो कहां से आते हैं. वो आते हैं हमारी और आपकी कमाई से. यह वही धन है, जो हमसे टैक्स के रूप में वसूला जाता है.

लोक सभा में कितनी गंभीरता से काम होता है इसका उदाहरण है, गत वर्ष के बजट सत्र की बात करें तो लोकसभा में बिना किसी चर्चा के 9 मिनट से भी कम समय में विनियोग विधेयक पास हो गए. अगले वित्तीय वर्ष के लिए 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक के खर्च को अनुमति भी मिल गई। लोकसभा में अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को 'गिलोटिन' के माध्यम से बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगों को एक साथ बिना चर्चा के पारित कराने की प्रक्रिया गिलोटिन कहलाती है। इसके तहत सरकार को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए भारत की संचित निधि से करीब 45 लाख करोड़ रुपये निकालने को अधिकृत किया गया है ताकि वह कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करने के लिए इसका उपयोग कर सके।

केंद्रीय बजट से संबंधित करीब 100 मंत्रालयों एवं विभागों से जुड़ी अनुदानों की बकाया मांगों को एक साथ बिना चर्चा कराए 'गिलोटिन' के माध्यम से सदन की मंजूरी के लिए रखा गया। सदन ने इस संबंध में कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए इसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस प्रक्रिया के साथ बजट पर सामान्य चर्चा और विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मागों और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को सदन की मंजूरी का चरण सम्पन्न हो गया। ■

संसदीय इतिहास के कीर्तिमान विमर्श

डॉ. राम मनोहर लोहिया – 'मैं आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की औरतें, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यकों को और शूद्र– वह जो पांच बड़े वर्ग हैं जिनकी आबादी कुल मिलाकर 90 सैकड़ा होती है, उनको जब तक आप विशेष अवसर नहीं देंगे तब तक देश का गंदा पानी साफ नहीं हो सकता है। समान अवसर के सिद्धांत को लेकर सारे लोग चल रहे है, रूस और फ्रांस वाले सिद्धांत, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि विशेष अवसर के सिद्धांत को हमें अपनाना पड़ेगा। योग्यता और अवसर इस समय कुछ ही लोगों में सिकुड़कर रह गए हैं'।

प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू – 'डॉ. राम मनोहर लोहिया ने हिसाब निकाला है कि देश की 60प्रतिशत जनता की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी तीन आने रोज है। मैं नहीं जानता कि वे इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। इस गणित में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति की आमदनी मे उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया है। अतएव उन्होंने इसे 5 से भाग दे दिया। उनका यह कहना कि देश के 27 करोड़ व्यक्तियों की यह आय है। यह बात पुस्तकों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बिल्कुल गलत है'।

डॉक्टर लोहिया – 'क्या प्रधानमंत्री ने हिसाब लगा लिया है कि 5 गुना ज्यादा बता रहा हूं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू – जी हां, जो गलती डॉक्टर लोहिया ने की है, वह यह है कि पर कैपिटा इनकम को, पर फैमिली कर दिया है। घबराहट में फैमिली को उन्होंने पांच का गिना और उस इनकम को 5 से भाग कर दिया।

डॉ. राममनोहर लोहिया – अच्छा हिसाब लगा लीजिए कि 27 करोड़ आदमियों की आमदनी तीन आने प्रति आदमी के कितने आती है, और एक रुपए के हिसाब से कितनी आती है। इसमें प्रधानमंत्री जी बड़ी भारी भूल कर रहे हैं।

जवाहरलाल नेहरू – मैंने हिसाब लगा लिया। इस बारे में मेरे पास एक इकानॉमिस्ट साहब का नोट है जो इस प्रकार है:
डॉक्टर लोहिया प्रति व्यक्ति 25 रू मासिक की आय को परिवार की आय मान बैठे हैं। उनके सारे निष्कर्ष इस भ्रांति पर आधारित है, इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गलत नतीजे प्राप्त हैं।'

डॉ. राम मनोहर लोहिया – किसका नोट है?

श्री जवाहरलाल नेहरू – एक साहब का है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया – तो उस साहब से शाम के वक्त बात कर लीजिएगा। बड़ा पछताओगे आप।

श्री जवाहरलाल नेहरू – पछताओगे ?

डॉ. राममनोहर लोहिया – खेती–कारखानों का ज्ञान आपका बड़ा कम है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया – अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा सवाल उठाया गया है तीन आने और 15 आने का, जिसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं – तीन आने और 15 आने वाली बात अगर सही है तो मैं इस सदन से निकल जाऊंगा और अगर वह गलत है तो उनको प्रधान प्रधानमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया – मैं तीन आने और 15 आने वाली बात बताना चाहता हूं। यह क्या मजाक है? मैं इस झुंड का हुकुम नहीं मानूंगा (कांग्रेसी सदस्य हो हल्ला मचा रहे थे) तीन आने और 15 आने वाली चुनौती को स्वीकार करो।

अध्यक्ष महोदय – डॉ राममनोहर लोहिया ने भी लिखा है कि इस पर डिस्कशन हो। अभी उन्होंने इसका जिक्र किया। अब और उसका मताबला हो रहा है। मैं देखूंगा कि कोई मौका हुआ तो चर्चा हो जाएगी।

डॉ. राममनोहर लोहिया – मैं एक अर्ज आपसे करूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो गलत बयानी पहले की थी उससे 10 गुनी ज्यादा गलत बयानी आज कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय – अगर कोई गलत बयान है तो मुझे लिख दें।

डॉ. राममनोहर लोहिया – मैंने अपने खत में आपको न्यूनतम आमदनी और औसत आमदनी का फर्क बताया है जिसे प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं जानते हैं. लोहिया ने इस बहस पर जोर देते हुए लोकसभा के स्पीकर को खत लिखा कि मेरे सवाल पर बहस की जाए तो अध्यक्ष ने कहा जब बाद में डिस्कशन होगा तो आपको वक्त मिलेगा।

अध्यक्ष ने आगे कहा कि मैंने आपकी चिट्ठी को मिनिस्टर के पास उसके जवाब के लिए भेजा है।

6 सितंबर 1963 को डॉ लोहिया ने तीन आना बनाम 15 आने की बहस को राष्ट्रीय आय का वितरण पर हो रही बहस को फिर छेड़ा। डॉ. राम मनोहर लोहिया ने कहा अध्यक्ष महोदय, अभी तक इस बहस का नतीजा इतना निकला है कि मैंने 27 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए तीन आने रोज की आमदनी कही, प्रधानमंत्री ने 15 आने रोज की और योजना मंत्री ने साढ़े सात आने रोज की। अब प्रधानमंत्री और योजना मंत्री आपस में निपट लेंगे की दोनों में कौन सही है। मेरी बहस यह नहीं है कि हिंदुस्तानियों की और खास तौर से 27 करोड़ की आमदनी तीन आने या साढे तीन आने हैं। बल्कि यह देश इतना गरीब है जिसका अंदाजा इस सरकार को नहीं है और इस गरीबी को दूर करने के लिए जब तक बहस की गंभीरता इस स्तर तक थी कि कई माननीय सदस्यों श्री बृजराज सिंह, बुद्ध प्रिय मौर्य इत्यादि ने अपने समय में कटौती कर कर डॉ. लोहिया को बोलने का मौका दिया। ■

नवलय गतिविधि

शालिगराम तोमर स्मृति समारोह सम्पन्न

स्व. शालिगराम तोमर ने विद्यार्थी परिषद के एक एक कार्यकर्ता को गढ़ा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
श्री सूर्यकांत केलकर ''शालिगराम तोमर स्मृति राष्ट्र सेवी सम्मान'' से सम्मानित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थी परिषद के कुशल संगठक यशस्वी श्री शालिगराम तोमर जी ने विद्यार्थी परिषद के एक–एक कार्यकर्ता को गढ़ने का कार्य किया। उन्होंने कार्यकर्ता की गलतियों को क्षमा कर उनके अंदर छुपी अच्छाइयों को निखारने का कार्य किया। श्री शालिगराम जी ने अपने कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उनके गुण–अवगुणों का बारीकी से अध्ययन कर उनकी प्रतिभा को उभारने में योगदान दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 23 जून 2024 को मानस भवन में भोपाल की नवलय संस्था द्वारा आयोजित शालिगराम तोमर स्मृति समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी और श्री शालिगराम तोमर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री सूर्यकांत केलकर जी को शाल, स्मृति चिन्ह और सम्मान पत्र भेंट कर शालिगराम तोमर स्मृति राष्ट्र सेवी सम्मान से सम्मानित किया। समारोह में शालिगराम तोमर की धर्मपत्नी श्रीमती शांता तोमर तथा परिजन, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, दिल्ली से डॉ मल्लिका नड्डा Chairperson Special Olympics, Asia Pacific Council, रायपुर के सांसद श्री बृज मोहन अग्रवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्यभारत के प्रान्त संघचालक श्री अशोक पाण्डेय, दीनदयाल शोध संस्थान के संगठन मंत्री श्री अभय महाजन सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रारम्भ में नवलय के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जैन ने कार्यक्रम की संकल्पना बताते हुए कहा कि इस समागम में स्व. शालिगराम तोमर जी के सान्निध्य और मार्गदर्शन में विविध संगठनों में काम कर चुके मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता बुलाये गए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री शालिगराम जी ने आपातकाल में जो कार्यकर्ता जेल में थे, उनके परिवारों से जीवंत सम्पर्क कर उनका उत्साह बनाये रखने में प्रमुख भूमिका निभाई। श्री शालिगराम जी को 1978 में 'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने महाकौशल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में विद्यार्थी परिषद के कार्य को मजबूत किया। इस दौरान बने कई कार्यकर्ताओं ने भविष्य में राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की।

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि श्री शालिगराम तोमर जी ने विद्यार्थियों के हित में असाधारण कार्य किया। उनका जीवन कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ था। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता जताई कि इस आयोजन ने म.प्र. व छत्तीसगढ़ को पुनः एक कर दिया है। ज्ञातव्य हो कि आयोजन में छत्तीसगढ़ से भी भारी संख्या में प्रतिनिधि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्यभारत के प्रान्त संघचालक श्री अशोक पाण्डेय ने समारोह में सम्मानित होने वाले श्री सूर्यकांत केलकर के बारे में पुरानी रोचक घटनाओं का उल्लेख किया। दीनदयाल शोध संस्थान के संगठक श्री अभय महाजन ने स्व. शालिगराम तोमर से सम्बन्धित स्मृतियों को साझा किया और आयोजकों को इस बात के लिये धन्यवाद दिया कि इस आयोजन ने शालिगरामजी के सारे स्नेहियों को आज एक स्थान पर लाकर मिलन का अवसर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि आयोजक अब शालिगराम जी से सम्बन्धित सभी स्मृतियों को एक ग्रन्थ के रूप में आकार देने का कार्य करें।

वरिष्ठ नेत्री एवं समाज सेवी डॉ. मल्लिका नड्डा ने कहा कि श्री शालिगराम तोमर जी छात्राओं और महिला कार्यकर्ताओं के कार्यों पर भी पैनी नजर रखते थे। उनसे न केवल कार्य करने की प्रेरणा मिली बल्कि देश सेवा की सीख भी मिली। श्री शालिगराम जी ने छात्राओं को संगठन मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर देने का प्रयास किया। वह महिला कार्यकर्ताओं और छात्राओं को आगे कार्य करने का अवसर देना चाहते थे। श्रीमती नड्डा ने कहा कि शालिगराम जी का कहना था कि केवल राजनीतिक क्षेत्र का ही चयन नहीं करना चाहिए बल्कि अलग–अलग क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमाएं और जिस क्षेत्र का चयन करें उसमें लीडर की भूमिका निभाने का प्रयास करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में पौधारोपण कर प्रकृति संवर्धन और संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्मृति चिन्ह और पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री शालिगराम जी की धर्मपत्नी श्रीमती शांता तोमर का शाल, स्मृति चिन्ह और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ''नवलय अनुबोध'' पत्रिका के 194वें अंक जून 24 का विमोचन भी किया। कार्यक्रम का सफल संचालन अभाविप म.प्र. के पूर्व मंत्री, महासमुद के डा. विमल चोपड़ा ने किया। शालिगराम जी के साथ बिताये अपने लम्बे कालखंड की अनेक घटनाओं का भी उन्होंने इस दौरान उल्लेख किया।

समारोह के प्रथम सत्र 'याद करें यादों को' में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से पधारे बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ कायकर्ताओं ने अपने स्मरण सुनाए। समारोह में उद्योगपति श्री दिलीप सूर्यवंशी, पूर्व सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर, विधायक इंदौर श्रीमती मालिनी गौड़, पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल, उज्जैन के विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, कालापीपल विधायक श्री घनश्याम चंद्रवंशी सहित अनेक राजनेता व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद के पूर्व व वर्तमान कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ■

स्व. श्री शालिगराम तोमर का परिचय

स्व. श्री शालिगराम तोमर का जन्म मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के ग्राम पोलायकलां में 4 जुलाई 1941 को एक किसान परिवार में हुआ। इनके पिता श्री उमराव सिंह, माता श्रीमती नाथीबाई थीं। अल्पावस्था में ही उनका विवाह शांता देवी से हो गया। 1965 में हायर सैकेंड्री कर उन्होंने स्वयं को संघ कार्य के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने बी.ए, एम.ए मनोविज्ञान तथा कानून की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। प्रारम्भ में वे राजगढ़ में रा. स्व. संघ के विस्तारक बनाये गये। 1967 में वे उज्जैन के नगर प्रचारक, बाद में जिला और विभाग प्रचारक बने। आपातकाल में पुलिस उन्हें तलाश ही करती रही। इनके नाम वारंट थे, पर वे भूमिगत रहकर कार्यकर्ताओं को संगठित कर इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरुद्ध आंदोलन को तेज करते रहे। 1978 में उन्हें 'अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद' के काम में लगाया गया। क्रमशः उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता गया और उन्होंने तत्कालीन मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनकर कार्य को मजबूत किया। उस दौरान बने कई कार्यकर्ताओं ने भविष्य में राजनीतिक, उद्यमिता, शासकीय सेवा व सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की। राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान में देश में चमकते अनेक सितारों को उन्होंने गढ़ने का काम किया।

1992 में वे ब्रेन ट्यूमर के शिकार हो गये। शल्य चिकित्सा के दुष्प्रभाव से वे लकवा पीड़ित हो गये। वर्ष 1996 में अस्वस्थता के कारण अपने कार्य से मुक्त होकर वे अपने गांव पोलायकलां ही आ गये। पोलायकलां आने के पश्चात् भी वे सतत कार्य करते रहे तथा यहां उन्होंने मानव सेवा विकास न्यास, आदर्श श्रीकृष्ण गोशाला, सरस्वती शिशु मंदिर के भवन का निर्माण, निवेदिता महिला मंडल, युवा मंडल आदि का गठन किया। आगे चलकर तीन बार उनकी शल्यक्रिया और हुई पर वे पूरे स्वस्थ नहीं हो पाये। 26 नवम्बर, 2010 को उज्जैन में उनका स्वर्गवास हो गया। आजीवन उनका एक ही लक्ष्य रहा–

'मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज,
परमारथ के कारने मोहे न आवे लाज।'

वह सर्वस्व लुटाकर चले गए पर जाने से पहले इतने कार्यकर्ता गढ़ गए उनमे प्राण प्रतिष्ठा कर गए जो आज समाज में प्रतिष्ठित होकर अपने काम को गति दे रहे हैं उनके चेहरे राजनीति, सामजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, में स्थापित हो गए, और ये सब कार्यकर्ता आज भी विभिन्न क्षेत्रों मे दोड रहे हैं ध्येय के लिए चल रहे हैं।

हम आपके मोक्ष की कामना नहीं करेंगे।
पुनर्जन्म लो देशहित प्रार्थना यही करेंगे।

राष्ट्रसेवी सम्मान से अलंकृत श्री सूर्यकांत केलकर

शालिगराम तोमर स्मृति समारोह के दूसरे सत्र में श्री सूर्यकान्त केलकर को 'शालिगराम तोमर स्मृति राष्ट्रसेवी सम्मान' से अलंकृत किया गया। मंचासीन अतिथियों ने शाल श्रीफल व सूर्यकान्त जी के संगठन भारत रक्षा मंच के आगामी अभियानों के लिये रू. एक लाख की निधि प्रदान कर श्री केलकर का सम्मान किया।

श्री सूर्यकान्त केलकर का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है –

माननीय श्री सूर्यकांत पाण्डुरंग केलकर का जन्म उज्जैन में 8 अप्रैल 1945 को हुआ। आपके पिताजी स्वर्गीय पांडुरंग केलकर जी उज्जैन के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे। आपकी माताजी स्व. सिन्धु ताई की सामाजिक सक्रियता और उनके द्वारा दिये गये संस्कारों व परिवार के संघमय वातावरण के बीच आपकी शिक्षा सिविल इंजीनियर और बाद में एमए एलएलबी की हुई। दो वर्ष 1964 से 65 में सरकारी नौकरी सिंचाई विभाग शाजापुर में आपने की लेकिन आप तो जैसे भारत माता की सेवा के लिए ही बने थे। जल्द ही आपने नौकरी से त्यागपत्र देकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक के रूप में श्योपुर सबलगढ़, फिर विभाग प्रचारक के रूप में शिवपुरी में काम किया। 1971 में अ. भा. विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री के रूप में आपने कार्यभार संभाला। 1975 में आपातकाल के बाद आप भूमिगत रहकर तत्कालीन सरकार के विरुद्ध संघर्षरत रहे। आपातकाल के दौरान ही एक मुखबिर की सूचना पर जून 1976 में आप भोपाल में पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और आपको मीसा के अन्तर्गत जेल भेज दिया गया।

आपातकाल समाप्ति तक आप जेल में ही रहे। तत्पश्चात आपने अ. भा. विद्यार्थी परिषद के संगठक के रूप में 1978 तक मध्यभारत व बाद में उड़ीसा, दिल्ली, पंजाब आदि स्थानों में विद्यार्थी परिषद के कार्य का विस्तार किया। विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में भी आपने मध्यक्षेत्र यानि मध्यप्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का कार्यभार संभाला। वर्ष 2000 में आपको सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, जहां आपने अगले 10 सालों तक देश भर में सहकार भारती के संगठन को खड़ा करने में अपना महती योगदान दिया। उसके बाद आपने देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती समस्या के कारण अन्य सभी दायित्व छोड़कर इस समस्या के समाधान के लिए देशभर में सेमिनार, गोष्टी, धरना इत्यादि का आयोजन कर जन जागरण का कार्य प्रारम्भ किया। इस अभियान को भारत रक्षा मंच का नाम दिया गया। इस अभियान के अन्तर्गत आप अभी भी अपनी 79 वर्ष की आयु के बावजूद, पूरे देश भर में प्रवास कर, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने और देश की सीमाओं पर बढ़ती जा रही आतंकवादी गतिविधियों व सीमावर्ती इलाकों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्रसेवी का सम्मान कर आज हम सभी अपने को धन्य मानते हैं। ■

शालिगराम तोमर स्मृति समारोह के प्रथम सत्र 'याद करें यादों को' में म.प्र. व छत्तीसगढ़ के अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी स्मृतियां सांझा की

शालिगराम तोमर स्मृति समारोह में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की बैठक भी सम्पन्न हुई

मुख्यमंत्री निवास पर छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को बुलावा

आयोजन के दूसरे दिन 24 जून 2024 को म. प्र. के माननीय मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने अपने निवास पर कार्यक्रम हेतु छत्तीसगढ़ से पधारे कार्यकर्ताओं को सुबह नाश्ते पर आमंत्रित किया। इस दौरान पुनः कई कार्यकर्ताओं ने पुरानी यादों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव सहित डा. विमल चोपड़ा, सर्वश्री नारायण चन्देल, हरीश लूनिया, प्रदीप मिश्रा, चन्द्रहास चंद्राकर, विष्णु साव का सम्मान किया। आयोजक संस्था नवलय के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जैन को भी इस काम के लिये छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने धन्यवाद व म. प्र. के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मानित किया कि उन्होंने इस आयोजन से, स्व. शालिगराम जी के साथ काम किये, वर्षों पुराने साथियों को एक साथ मिलने का अवसर दिया है। ■

पक्का हो घर अपना... अब नहीं रहा ये सपना

–घनश्याम सिरसाम

खुद के पक्के घर में निश्चिंत होकर कौन नहीं रहना चाहता। यह सभी का एक बड़ा सपना होता है, जिसे पूरा करने के लिये हर व्यक्ति जी जान से मेहनत करता है। खुजरो बाई भी पक्के घर का सपना दिल में लिये जी रहीं थीं।

मण्डला जिले की ग्राम पंचायत जंतीपुर की खुजरो बाई बैगा की किस्मत रंग लाई और अब उसे प्रधानमंत्री जन–मन आवास योजना से खुद का पक्का घर मिल गया है। पक्का घर पाकर वे बेहद प्रसन्न हैं। इस योजना ने पक्के घर में रहने का उनका बरसों पुराना सपना साकार कर दिया है।

खुजरो बाई बताती है कि वे बेहद गरीब परिवार से हैं और सालों से कच्चे मकान में रहती थीं। कच्चे मकान में रहने पर बारिश में उसे बड़ी परेशानी होती थी। बारिश की वजह से उसका घर–गृहस्थी का सामान भीगकर खराब हो जाता था। हर साल बारिश से पहले घर की मरम्मत में बहुत पैसा खर्च हो जाता था। वह मजदूरी करके अपना भरण–पोषण करती थीं। गरीबी के कारण वह अपना पक्का मकान नही बना पा रही थी।

इसी दौर में ग्राम पंचायत जंतीपुर द्वारा उसे बताया गया कि 2023–24 में उसका नाम प्रधानमंत्री जन–मन योजना की आवास चयन सूची में आ गया है। योजना के तहत उसे तीन किश्तों में काम के आधार पर धनराशि सीधे उसके बैंक खाते में दी गई और उसे कुशल मजदूरी का भुगतान भी किया गया।

खुजरो बाई ने बताया कि प्रधानमंत्री जन–मन योजना से उसका पक्का घर बन गया है और अब वह इसमें रहने भी लगी हैं। वे यह भी बताती है कि उन्हें सरकार की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, विद्युत कनेक्शन, पक्का शौचालय, नल कनेक्शन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का लाभ भी मिल रहा है।

सरकार की इन सभी योजनाओं का लाभ पाकर खुजरो बाई के दिन अब बदल गये हैं। वे प्रधानमंत्री जन–मन योजना से उसे पक्का घर देने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हृदय से आभार जताती हैं। ■

D16008/24

कुपोषण मुक्त करने की पहल

–बिन्दु सुनील

मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में इन दिनों अलग–अलग लाल, हरे, पीले रंग के सूरजमुखी के फूल दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सूरजमुखी फूल की कोई हाइब्रीड वेराइटी की बात हो रही है। पर यहां बात बिल्कुल अलग है। दरअसल डिंडोरी जिले को कुपोषण से मुक्त करने की एक नई पहल शुरू की गई है।

सूरज की तरफ मुँह कर हमेशा ऊर्जा और सकारात्मकता का संदेश देता सूरजमुखी का फूल जिले की आंगनवाड़ियों, वहाँ के घरों की दीवारों पर अलग–अलग रंगों में दिखाई देती है। यह आम लोगों के कौतुहल का विषय बना हुआ है। साथ ही लोगों को अपने घर पर हरे रंग के सूरजमुखी की चाह भी बढ़ गई है। यही नहीं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी कार्यकर्ता के बीच होड़ लगी है कि उनके आंगनवाड़ी केन्द्र में ''मेरी आंगनवाड़ी लाल एवं पीले सूरजमुखी से मुक्त है'' लिखा जाए। आंगनवाड़ी केन्द्र की इस पहल से परिचित होने और इन फूलों का मतलब जानने की जिज्ञासा भी आमजन में पनपी है।

आइए समझते हैं इस पहल को। तीन रंगों के सूरजमुखी के फूल जिसमें लाल रंग अति कुपोषित बच्चा, पीला रंग मध्यम कुपोषित तथा हरे सूरजमुखी से तात्पर्य है कि आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज बच्चों में से कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं है या यह कहें कि दर्ज सभी बच्चे स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। कुपोषण मुक्त शब्द देखते ही आंगनवाड़ी में जाकर आमजन पोषण और कुपोषण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। नई पहल गाँव, कस्बे के लोगों को आंगनवाड़ी केन्द्र की ओर आकर्षित कर रही है, जो लोग आंगनवाड़ी केन्द्र जाने से कतराते थे, आज उत्सुकतावश केन्द्र आकर जानकारी ले रहे हैं।

डिंडोरी में यह नवाचार रेवा प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अति गंभीर कुपोषित तथा मध्यम कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन तथा चिन्हित बच्चों का ग्रेड परिवर्तन करते हुए सामान्य जीवन स्तर में लाना है। इसके अतिरिक्त किशोरी बालिकाओं को उनके हार्मोनल विकास के अनुकूल वातावरण प्रदान कर आत्मविश्वास, उत्साह में वृद्धि करना है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण के लिए जागरूक करना है, जिससे जन्म लेने वाला बच्चा स्वस्थ हो। इसके अतिरिक्त धात्री माताओं को बच्चों एवं स्वयं के पोषण तथा स्वास्थ्य व स्तनपान के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान में रेवा प्रोजेक्ट संचालकों द्वारा स्वास्थ्य कैंप, अधिकारियों द्वारा कुपोषित बच्चों के घर भेंट, सेम बच्चों का चिन्हांकन, आंगनवाड़ी केन्द्रों में नव–दंपत्ति मिलन सम्मेलन, सास–बहू सम्मेलन, एनीमिया केम्प, सिकलसेल कैम्प, नशामुक्ति आदि गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। ■

D16008/24

जन, जंगल, जमीन का स्थायी योजन
जल जीवन मिशन : काम भी, आराम भी

जन, जंगल, जमीन और प्राणी, जल सबके लिये अनिवार्य और अपरिहार्य है। जल है, तभी सबका कल सुरक्षित है। भारत सरकार ने इस तथ्य को अंगीकृत किया और हर घर जल की स्थायी व्यवस्था के लिये जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। इस मिशन के तहत अब तक देश के करीब 14 करोड़ 40 लाख 47 हजार से अधिक घरों में स्थायी नल कनेक्शन दिये गये हैं। मध्यप्रदेश के 53 हजार 417 गांवो के करीब 67 लाख से अधिक घरों में जल–नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

महिलाओं को गांव में ही मिल रहा काम

इंदौर जिले के देपालपुर ब्लॉक के झलारिया गांव की सीताबाई बताती है कि पानी लाने के लिए उनके गांव की महिलाओं को घंटों जद्दोजहद करनी पड़ती थी। बहुत दूर से पानी ढोने की थकान से स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा था। झलारिया गांव में जल जीवन मिशन के तहत घर–घर नल की लाइन पहुंचने के बाद उन्होंने ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को अपनी सेवाएं देने की इच्छा जताई। समिति ने उन्हें पंप ऑपरेटर बनाने के साथ ही गांव से जल कर एकत्र करने की जिम्मेदारी सौंपी। सीताबाई ने काम संभालते ही पूरे गांव को तय समय पर और आवश्यकतानुसार पानी पहुंचाया। साथ ही गांव वालों को बताया कि जल कर जमा कराने से नल–जल योजना का रखरखाव और विस्तार भी आसानी से हो सकेगा। सीताबाई के प्रयासों से गांव वाले जल कर चुकाने के लिये सजग हुए और सीताबाई ने शुरुआत में ही 1.79 लाख रुपए जल कर एकत्र किए और समिति के खाते में जमा करा दिए। अब सीताबाई बेहद खुश हैं कि पंप ऑपरेटर की जिम्मेदारी मिलने से गांव को पानी सप्लाई अच्छी तरह से हो पा रही है। साथ ही मानदेय मिलने से वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। जल कर का भुगतान हो जाने से गांववालों के प्रति ग्राम समिति का विश्वास भी बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से हर साल औसतन 30 लाख से अधिक लोगों को योजनाओं के संचालन और रखरखाव संबंधी रोजगार मिल रहा है। आईआईएम बेंगलुरु के एक सर्वेक्षण के अनुसार इस मिशन के लागू होने के पांच सालों में ही हर साल लगभग एक करोड़ 47 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा किया जा सका है। ■

आर्थिक योगदान से मिला आराम, अनीता को राष्ट्रपति से मिला सम्मान

छिन्दवाड़ा जिले के मोहरखंड गांव में पानी की व्यवस्था एक बड़ी समस्या थी। दूर–दराज से पानी ढोने और उस पर भी अशुद्ध जल पीने से गांव वालों के स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। श्रीमती अनीता चौधरी ने जल जीवन मिशन का लाभ गांव तक पहुंचाने के लिए दिन–रात मेहनत की। उन्होंने गांव वालों को प्रेरित कर दो लाख 88 हजार 135 रुपए की जनसहयोग से एकत्र कर ग्राम समिति को सौंपी। गांव के घरों में जब नल से शुद्ध जल पहुंचने, लगा तो लोगों ने अनीता को 'जल योद्धा' नाम देकर सम्मानित किया। जल जीवन मिशन के प्रति अनीता के समर्पण को गांव के साथ ही देश ने भी सराहा है। अनीता ने बताया कि जब ग्राम समिति ने उन्हें बताया कि उनको 'स्वच्छ सुजल शक्ति' सम्मान दिया जाएगा, तो इस खबर पर वह बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाई। उन्हें नई दिल्ली बुलाया गया और 4 मार्च 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें सम्मानित किया, तो अनीता की आंखें भर आईं। अनीता के इस सम्मान से गांव, जिले और प्रदेश का भी गौरव बढ़ा ■

लोकसभा सचिवालय

लोकसभा सचिवालय एक स्वतंत्र निकाय है जो माननीय लोक सभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष को उनके संवैधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में लोक सभा के महासचिव (जिनका वेतन, पद और दर्जा आदि भारत सरकार के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी अर्थात् मंत्रिमंडल सचिव के बराबर होता है), अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों और सचिवालय के विभिन्न स्तर के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी सहयोग प्रदान करते हैं। अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को निदेशक अथवा उप–सचिव और समकक्ष रैंक के अधिकारी सहयोग प्रदान करते हैं। बीच के स्तर पर अवर सचिव या सहायक निदेशक और समकक्ष रैंक के अधिकारी होते हैं और सबसे निचले स्तर पर कार्यकारी अधिकारी/वरिष्ठ कार्यकारी सहायकध्कार्यकारी सहायक और समकक्ष अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त, परिचारक सेवा के साथ–साथ लिपिकीय और सचिवालयीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

वर्तमान में, कुल दस सेवाएं हैं जिनका वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया गया है और जो सदन और उसके सचिवालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। प्रत्येक सेवा के कार्य एक–दूसरे के पूरक हैं और प्रत्येक सेवा की विशिष्ट और भिन्न प्रकृति के कारण उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अदला–बदली सामान्यतः नहीं की जाती है। ये सेवाएं हैं. विधायी, वित्तीय, समिति, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवा, ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा, संपादन तथा अनुवाद सेवा, मुद्रण और प्रकाशन सेवा, वॉच एंड वॉर्ड, डोरकीपिंग और सैनीटेशन सेवा, भाषांतरण सेवा, शब्दशः प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) सेवा, निजी सचिव और आशुलिपिक सेवा, लिपिकीय और दफ्तरी सेवा और परिचारक सेवा. विधायी स्कंध सदन की कार्यवाही से संबंधित कार्य करता है और इसमें संसदीय सूचना कार्यालय, टेबल आफिस, विधायी शाखाएं, प्रश्न शाखाएं, आदि शामिल हैं। संसदीय समिति शाखाएं विभिन्न समितियों से संबंधित कार्य करती हैं और इनमें लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियाँ आदि शामिल हैं। कार्यकारी और प्रशासनिक स्कंध विभिन्न प्रशासनिक और सामान्य कार्य निपटाते हैं और इनमें प्रशासन, कार्य और सामान्य शाखा, बजट एवं भुगतान शाखा, वेतन और लेखा कार्यालय, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, आदि शामिल हैं। विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शाखाओं में पदों से जुड़े कर्तव्य 'डेस्कबाउण्ड' हैं और/अथवा क्षेत्र से जुड़े हैं। समिति शाखाओं में अधिकारी संसदीय स्थायी/अन्य समितियों को बीच सहायता प्रदान करते हैं। प्रोटोकॉल से संबंधित शाखाओं के अधिकारियों को सम्मेलनों, बैठकों के आयोजन हेतु क्षेत्र से संबद्ध/सम्पर्क कार्य करना होता है और भारतीय/विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को सहायता प्रदान करनी होती है। संसदीय प्रशासन की अत्यावश्यकता की स्थिति में 'लाफिया' सेवा के सभी अधिकारियों को इनमें से किसी भी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।

ग्रंथालय तथा संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा को संसद सदस्यों को भारत और विदेशों में दिन–प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत कराने का दायित्व सौंपा गया है। इसके लिए इसमें एक अत्याधुनिक और पूरी तरह सुसज्जित ग्रंथालय के साथ–साथ सक्षम शोध और संदर्भ सेवाएं हैं। यह सेवा सदन में विचारार्थ प्रस्तुत विधायी और अन्य विषयों से संबंधित संदर्भ/शोध सामग्री उपलब्ध कराती है जिससे कि सदस्य सभा के वाद–विवादों में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। यह सेवा संसद सदस्यों के प्रयोग के लिए पृष्ठाधार टिप्पण, सूचना बुलेटिनों, शोध टिप्पण आदि तैयार करती है तथा अंतरसंसदीय संघ और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडलों के अलावा देश में होने वाले अन्य संसदीय सम्मेलनों के लिए भी संक्षिप्त विवरण/शोध टिप्पण आदि तैयार करती है। इस सेवा में ग्रंथालय, शोध, संदर्भ, मीडिया और जनसंपर्क तथा संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार नामक पांच प्रभाग हैं। संपादन तथा अनुवाद सेवा के अंतर्गत लोक सभा वाद–विवाद, समिति के प्रतिवेदनों, कार्यवाहियों और अन्य संबद्ध कार्यों का अनुवाद/संपादन/पुनरीक्षण करने और वाद–विवाद का सारांश तैयार करने संबंधी कार्य करते हैं। इस सेवा में संपादकीय शाखा, सारांश शाखा, राजभाषा प्रभाग, अनुवाद (समिति) शाखा, अनुवाद (संसदीय पत्र) शाखा आदि सम्मिलित हैं. मुद्रण और प्रकाशन सेवा के अधिकारी सचिवालय को प्रूफ रीडिंग, मुद्रण और बाइंडरी सेवाएं प्रदान करते हैं। वॉच एंड वॉर्ड, डोर कीपिंग और सैनीटेशन सेवा के अधिकारी संसद भवन सम्पदा में सुरक्षा प्रबंधों की देख–रेख करते हैं। सैनीटेशन स्कंध के अधिकारी संसद भवन सम्पदा में स्वच्छता बनाए रखने के लिए सैनीटेशन सेवाएं प्रदान करते हैं। भाषांतरण सेवा के अधिकारी लोक सभा/संसदीय समितियों/सम्मेलनों/विचार – गोष्ठियों/विदेशी संसदीय शिष्टमंडलों आदि की कार्यवाहियों का (अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में) साथ–साथ भाषांतरण करती है। शब्दशः प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) सेवा के अधिकारी शब्दशः प्रतिवेदन सेवा के अंतर्गत कार्यरत संसदीय प्रतिवेदक लोकसभा/संसदीय समितियों/विचारगोष्ठियों/संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा आयोजित वार्ताओं/अंतरसंसदीय समूह के सत्रों की कार्यवाहियों के शब्दशः प्रतिवेदन (रिपोर्टिंग) का कार्य करते हैं। ■

लोक सभा में हास-परिहास

अपनी पहली पारी में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आधार को कांग्रेस अपनी योजना बताती है जबकि 7 जुलाई 1998 में इसी सदन के तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि ऐसा कार्ड होगा जो नागरिकता की पहचान का सबूत होगा यही से आधार कार्ड की नींव पड़ी. लोक सभा की सदस्य रेणुका चौधरी ने बहुत तेज आवाज में ठहाका लगाया तो सभापति वेंकैया नायडू ने भी नाराजगी जताई लेकिन मोदी ने उन्हें टोकते हुए कहा सभापति जी आप रेणुका जी को कुछ मत कहिए रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी अब सुनाई दी है. मोदी के इतना कहते ही सदन में जोर का ठहाका गूंजा मोदी का आशय समझा जा सकता है संभावित है उनका इशारा राक्षसी अट्टहास की तरफ था. मोदी की बात पर रेणुका ने आपत्ति जताई लेकिन वह ठहाकों की आवाज में दब गयी.

एक बार राम मनोहर लोहिया संसद में स्टालिन की बेटी श्वेतलाना को भारत में शरण दिए जाने की मांग कर रहे थे तो कांग्रेस सांसद तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि लोहिया जी आप तो बैचलर हैं आपने शादी नहीं की आपको महिलाओं के बारे में क्या मालूम. लोहिया ने तपाक से जवाब दिया तारकेश्वरी तुमने मौका ही नहीं दिया.

सामान्य तौर पर जवाहरलाल नेहरू को अभिजात्य वर्ग का प्रतिनिधि माना जाता है। एक बार संसद में नेहरू के कट्टर आलोचक और समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा नहीं मैं साबित कर सकता हूं कि उनके दादा मुगल दरबार में चपरासी थे नेहरू ने इस पर जवाब दिया मैं खुश हूं कि आखिरकार माननीय सदस्य ने उसे बात को मान लिया जो कि मैं बरसों से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं आम जनता का ही आदमी हूं.

भारत चीन युद्ध के बाद नेहरू ने एक चीन आक्रमण पर संसद संसद में कहा नॉट ए ब्लड का ग्रास ग्रोज थेयर यानी वहां तो घास की पत्ती तक नहीं उगती. सदस्य महावीर त्यागी जो गंजे थे उन्होंने कहा मेरे सर पर भी बाल नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरा सिर काटकर चीनियों को दे देंगे ?

आचार्य कृपलानी संसद में कांग्रेस की आलोचना कर रहे थे उनकी पत्नी कांग्रेस की नेता थे एक सदस्य ने खड़े होकर कहा कि आप ऐसी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं जिसे आपकी पत्नी प्रिय हैं। कृपलानी बोले अभी तक समझता था कि कांग्रेस के लोग बेवकूफ हैं लेकिन अब मुझे पता लगा कि वह बेवकूफ ही नहीं गुंडे भी हैं जो दूसरों की पत्नी भगा कर ले जाते हैं.

कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद प्याज की कीमत बढ़ी तो प्रतिपक्ष के एक सांसद रामेश्वर सिंह ने एक दिन प्याज की माला पहनकर सदन में चले गए वह माला सदस्यों को दिखाकर उनका ध्यान आकर्षित कर रहे थे इस पर कांग्रेस के एक सदस्य ने रामेश्वर को अपना जूता निकाल कर दिखाना शुरू कर दिया इस पर पीलू मोदी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय देखिए प्याज खाने वाला प्याज दिख रहा है और जूता खाने वाला जूता दिखा रहा है.

एक बार पीलू मोदी पर लोकसभा के अध्यक्ष के अंदर का मामला चल तो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ पीठ कर बैठ गए. सदस्यों ने उनके इस आचरण पर आपत्ति की तो शरीर से भारी भरकम पीलू का जवाब था, कि महोदय मेरा न तो आगे है न पीछा, मैं तो बस गोल मटोल हूं.

एक बार सांसद जे सी जैन ने पीलू मोदी को तंग करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली. वे कांग्रेस के बहुत बड़बोले सदस्य थे वह लगातार पीलू मोदी से छेड़खानी करते रहे पीलू मोदी को गुस्सा आ गया और वह चिल्लाए भौंकना बंद करो इस पर सदस्य खड़े हो गए और अध्यक्ष को संबोधित करते हुए बोले महोदय यह मुझे कुत्ता कह रहा है, अध्यक्ष ने इस बात को रिकॉर्ड पर न जाने की व्यवस्था दी. पीलू का अगला दांव था ''रेंकना बंद करो'' जैन को नहीं मालूम था कि इसका अर्थ क्या है इसलिए यह रिकॉर्ड पर आ गया.

एक प्रसिद्ध सांसद जिनके नाम लम्बे समय तक केन्द्रीय मंत्री रहने का रिकार्ड है, रंग में बहुत काले थे। जबकि तारकेश्वरी सिंन्हा अपनी सुंदरता के लिये प्रसिद्ध थीं। एक बार अपने काले रंग की खिल्ली उड़ाये जाने पर वे तारकेश्वरी की ओर इशारा करके बोले, ''इन हसीनों को खुदा ने खुद बनाया हाथ से, हम ही वो कमबख्त जो, ठेके पे बनवाये गये।''

एक बार संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा और उन्होंने सांसद भगवंत मन को भी लपेटे में लिया. इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस राज में देश की चरमराई व्यवस्था के बारे में बताया इसके लिए उन्होंने चार्वाक के कथन का जिक्र करते हुए कहा वह कहते थे सदा जीवेत सुखम जीवेत, ऋण कृत्वा घृत पिबेत'' यानी जब तक जिया सुख से जियो उधार लेकर घी पियो. इसके बाद उन्होंने भगवंत मान पर चुटकी लेते हुए कहा उस जमाने में उधार लेकर घी पीने का दौर था इसलिए ही कहा भगवंत मान रहते तो कुछ और पीने के लिए कहते पीएम का इतना कहना था कि पूरे सदन में जोरदार ठहाके लगने लगे. ■

सबसे अधिक बार के सांसद..

19 52 में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब तक 18 बार लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इंद्रजीत गुप्ता 11 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं .कम्युनिस्ट नेता इंद्रजीत गुप्ता के नाम सबसे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1960 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। 1999 में वे आखिरी बार सांसद बने थे। 18 मार्च 1919 को जन्मे इंद्रजीत गुप्ता ब्रिटेन में अपने छात्र जीवन के दौरान कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े। इसके बाद अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद 1940 में भारत लौटे। संसद में वे कम्युनिस्ट पार्टी के आवाज थे। दूसरे सदस्य हैं 25 जुलाई 1929 को असम के तेजपुर में जन्मे सोमनाथ चटर्जी 10 बार लोकसभा चुनाव जीते। चार जून 2004 को सोमनाथ चटर्जी को निर्विरोध लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। चटर्जी ने अपने करियर की शुरुआत एक अधिवक्ता के रूप में की थी। 1968 में वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से जुड़े और 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। वे 1989 से 2004 तक लोकसभा में सीपीआई (एम) के नेता रहे थे। चटर्जी को 1996 में 'उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार' प्रदान किया गया था।

तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल जी के नाम नौ बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। वे दो बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। अटल जी के पास चार दशक से अधिक का संसदीय अनुभव था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा मगर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर लोकसभा से पहली बार सांसद बने। अटल जी चार राज्यों से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचने वाले एकमात्र नेता थे। वे 1962 और 1986 में दो बार राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। अटलजी ने लखनऊ लोकसभा सीट से लगातार पांच बार चुनाव जीता था। 10 बार लोकसभा चुनाव जीतने वालों में पीएम सईद का भी नाम है। 1967 से 1999 तक पीएम सईद लगातार 10 बार सांसद बने। लक्षद्वीप में पीएम सईद कांग्रेस का पर्याय थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा था। बाद में कांग्रेस ज्वाइन की। 1980 लोकसभा चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (यू) से लड़ा था। 2004 में जेडीयू प्रत्याशी पी. पूकुन्ही कोया ने पीएम सईद को शिकस्त दी थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नौ बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले नेताओं में से एक हैं। मध्यप्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को उनका गढ़ माना जाता था। 1980 में पहली बार यहां से कमलनाथ ने संसदीय चुनाव लड़ा था। कुल नौ बार सांसद रहे। 2019 में उनके बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा से चुनाव जीता था। दिवंगत माधव राव सिंधिया ने 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। वे नौ बार सांसद रहे। ग्वालियर लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी हरा चुके थे। चार बार गुना और पांच बार ग्वालियर से लोकसभा चुनाव जीता। 2001 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। कांग्रेस नेता खगपति प्रधानी ने ओडिशा के नबरंगपुर लोकसभा सीट से लगातार नौ बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कायम किया था। 1999 में उन्होंने राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। 2010 में उनका निधन हो गया।

कांग्रेस नेता एवं ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग नौ बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ये सारे चुनाव उन्होंने कोरापुट निर्वाचन क्षेत्र से जीते। 2004 में उन्होंने आखिरी चुनाव जीता था। रामविलास पासवान की गिनती नौ बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले नेताओं में होती है। रामविलास ने आठ बार बिहार की हाजीपुर लोकसभा और एक बार रोसड़ा लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। जॉर्ज फर्नांडिस भी नौ बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले नेताओं में से एक थे। 1967 में पहली बार मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट से चुनाव जीता। बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से पांच और नालंदा से तीन बार लोकसभा का चुनाव जीता था। माकपा नेता रहे बासुदेब आचार्य ने पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा लोकसभा सीट से नौ बार सांसद का चुनाव जीता था। बासुदेब आचार्य ने 1980 में पहली बार बांकुड़ा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। वे लगातार 2014 तक यहां के सांसद रहे थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी प्रत्याशी और अभिनेत्री मुनमुन सेन ने बासुदेब आचार्य को हरा दिया था। महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता मानिकराव होडल्या गावित लगातार नौ बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 1981 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता था। 7वीं से 14वीं लोकसभा तक नांदुरबार से सांसद रहे।

भाजपा नेता संतोष गंगवार के नाम बरेली सीट से आठ बार लोकसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड है। सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी अब तक आठ बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। मध्यप्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट से सुमित्रा महाजन आठ बार सांसद रहीं हैं। मध्य प्रदेश की मंडला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते छह बार संसदीय चुनाव जीत चुके हैं। टीकमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार सात बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। राधा मोहन सिंह छह बार से लोकसभा सदस्य हैं। पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से उतरे अधीर रंजन चौधरी पांच बार के सांसद हैं। हरदोई से भाजपा नेता जयप्रकाश पांच बार के सासंद रह चुके हैं। आसनसोल से भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया चार बार राज्यसभा और दो बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी पांच बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ■

संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 का दिन

सेंट्रल असेंबली हॉल, दिल्ली, जिसे आज पुराना संसद भवन कहा जाता है, में 8 अप्रैल 1929 एक सामान्य दिन था जब तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल व्यापार सम्बन्धी किसी मामले पर विचार व्यक्त करने खड़े हुए तो अचानक हॉल में विस्फोट की आवाज आयी और पूरे हॉल में धुआं भर गया. दर्शक दीर्घा से नारे गूँज रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, नारा लगाने वाले थे शहीदे आजम भगत सिंह एयर बटुकेश्वर दत्त. उन्होंने हॉल में पर्चे भी फेंके. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक के सदस्य इन दोनों युवकों ने भागने का प्रयास नहीं किया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया. उनका कहना था कि बम विस्फोट से उनका इरादा किसी की हत्या नहीं, लेकिन बहरे को सुनाने के लिए ऊंची आवाज उत्पन्न करना था.

घटना के समय हॉल में मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मुहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, और साइमन कमीशन के लिए कुख्यात जॉन साइमन भी उपस्थित थे. भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों बंदी बनाये गए जबकि बम केवल भगत सिंह ने फेंके थे. आसिफ अली बटुकेश्वर के बचाव पक्ष से वकील थे जबकि भगत सिंह ने अपना बचाव स्वयं किया. दोनों को आजीवन कैद की सजा सुनायी गयी. इसी बीच भगत सिंह पर जॉन सॉडर्स पर प्राणघाती हमले के आरोप में मुकदमा शुरू हो चुका था, जिस घटना के लिए उनके साथ राजगुरु और सुखदेव थापर भी आरोपी थे. 23 मार्च 1931 को इन तीनों को मृत्युदंड दिया गया. बटुकेश्वर दत्त की एक लम्बी बीमारी के बाद 1965 में मृत्यु हुई.■

प्रोटेम स्पीकर-किस बात पर घमासान

संसद के चालू सत्र में भारतीय राजनीतिक गलियारे में प्रोटेम स्पीकर पद को लेकर सियासी घमासान है। विपक्ष की ओर से इस पद पर चुने गए भृतहरि महताब का विरोध जताया गया है। इस पद को लेकर संविधान में भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद होता है। यह तब तक के लिए होता है, जब तक संसद को लोकसभा स्पीकर नहीं मिल जाता है। ऐसे में संसद के ही किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। प्रोटेम स्पीकर का संविधान में जिक्र नहीं है। हालांकि, इसके पद और शपथ का जिक्र हमें संसदीय मामलों के मंत्रालयों की नियमावली में देखने को मिलता है। इसके आधार पर ही संसद भवन में प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं।

प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख काम नव–निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना होता है, जिससे संसद की कार्यवाही आगे बढ़ सके। सांसदों के चुने के बाद सरकार का विधायी विभाग वरिष्ठ सांसदों की लिस्ट तैयार कर प्रधानमंत्री के पास भेजता है। इनमें तीन नामों पर मुहर लगाई जाती है और यह सुझाव राष्ट्रपति को भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की ओर से सांसदों को शपथ दिलाने के लिए कुल तीन संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है। संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली के मुताबिक, संसद के उस सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो कि पूरी संसद में सबसे अधिक वरिष्ठ होता है। सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई जाती है। वहीं, प्रोटेम स्पीकर संसद के अन्य सांसदों को शपथ दिलाता है। हालांकि, भृतहरि महताब के प्रोटेम स्पीकर बनने पर विवाद हो गया है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि महताब सात बार के सासंद हैं, जबकि कोडिकुनिल सुरेश आठ बार के सांसद रहे हैं। ■

सबसे अधिक अवधि तक सत्ता की जिम्मेदारी

देश में अभी तक सबसे लंबे समय लगभग 32 साल तक केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री रहने का रिकॉर्ड बाबू जगजीवन राम के नाम है. दलितों के नेता के रूप में स्थापित हुए बाबूजी जगजीवन राम हमेशा एक ही चुनाव क्षेत्र से लड़े और अपराजित रहे. बाबूजी जगजीवन राम के नाम दूसरा रिकॉर्ड 50 साल तक राजनीति में रहने का है. वे 1936 से 1986 तक राजनीति में सक्रिय रहे. देश की पहली कैबिनेट में शामिल सरदार स्वर्ण सिंह का रिकॉर्ड मिनिस्टर के पद पर 23 साल का है भारत सरकार की कैबिनेट में सरदार स्वर्ण सिंह वर्क हाउसिंग और सप्लाई स्टील माइंस फ्यूल्स एग्रीकल्चर एक्सटर्नल अफेयर्स रेलवे डिफेंस जैसे मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री रहे नवंबर 1975 में इस्तीफा देने तक लगातार सरकारों का हिस्सा बने रहे वर्ष 1957, 62, 67 और 72 के लोकसभा चुनाव में विजयी रहे. सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग भारत के इतिहास में 24 साल तक मुख्यमंत्री की पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिन्होंने 23 साल तक मुख्य मंत्री का पद संभाला था

भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम सबसे अधिक 17 साल तक विदेश मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है. प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने पहली कैबिनेट में विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. पीयूष गोयल के नाम उम्र की के नेताओं में सबसे ज्यादा स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने का रिकॉर्ड है 28 साल के लंबे राजनीतिक सफर में वह अब तक आठ मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार संभाल चुके हैं. ■

प्रजातंत्र पर कटाक्ष - प्रमोद महाजन

''चीन में एक संसदीय यात्रा थी. चीन में लोकतंत्र को लेकर बड़ी उत्सुकता बढ़ी है. वहां के लोगों ने हमसे पूछा कि आपके यहां डेमोक्रेसी कैसे चलती है ? एक सांसद ने मुझसे पूछा. तो मैंने उन्हें बताया– मैं प्रमोद महाजन, लोकसभा का सदस्य हूं. मेरी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है और हम विपक्ष में हैं. चीनी नागरिक मुझे देखने लगा. उसने पूछा– आपकी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है ? मैंने कहा– हां. फिर मैंने चिंतामणि जी का उल्लेख किया और बताया कि ये संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं. लेकिन यह सरकार से बाहर रहकर सरकार को समर्थन दे रहे हैं. फिर मैंने कहा कि एक अन्य सांसद की पार्टी संसद की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और ये फ्रंट में हैं, लेकिन सरकार से बाहर हैं. फिर मैंने रमाकांत जी के बारे में बताया. मैंने कहा कि ये अपनी पार्टी के अकेले नेता हैं और यह सरकार में हैं.'' ■

सबसे कम मतों से जीत कर पहुंचे संसद

कांग्रेस नेता कोनाथला रामकृष्ण और तत्कालीन भाजपा नेता सोम मरांडी के नाम सबसे कम मतों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। 1989 में कोनाथला कामकृष्ण ने आंध्र प्रदेश की अनकापल्ली लोकसभा क्षेत्र से सिर्फ नौ मतों से चुनाव जीता था। वहीं 1998 में सोम मरांडी ने राजमहल सीट सिर्फ नौ मतों से चुनाव जीता था।

सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने 1996 में गुजरात के बड़ौदा से सिर्फ 17 वोटों से चुनाव जीता था। दिवंगत डीएमके नेता एमएस शिवसामी का नाम भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 1971 में 26 मतों से लोकसभा चुनाव जीता था। 2014 लोकसभा चुनाव में सबसे कम 36 मतों से भाजपा प्रत्याशी थुपस्तान छेवांग ने सफलता हासिल की थी। वर्ष 1962 में मणिपुर से रिशांग केशिंगबाह्य मणिपुर से 42 मतों से, 1967 में करनाल से एम. राम 203 मतों से, 1971 में एम एस शिवसामी तिरुचेंदूर से 26 मतों से, 1977 में दाजीबा बलवंतराव देसाई कोल्हापुर से 165 मतों से, 1980 में रामायण राय देवारिया से 77 मतों से, 1984 में मेवा सिंह लुधियाना से 140 मतों से, 1989 में कोनाथला रामकृष्ण अनकापल्ली से 9 मतों से, 1991 में अकबरपुर से राम अवध 165 मतों से, 1996 में सत्यजीत सिंह गायकवाड़ बड़ौदा से 17 मतों से, 1998 में सोम मरांडी राजमहल से 9 मतों से, 1999 में प्यारेलाल संकवार घाटमपुर से 105 मतों से, 2004 में पी. पूकुन्ही कोया लक्षद्वीप से 71 मतों से 2009 में नामो नारायण टोंक सवाई माधोपुर से 317 मतों से, 2004 में थुपस्तान छेवांग लद्दाख से 36 मतों से और 2019 में भोलानाथ मछलीशहर से 181 मतों से विजयी रहे. ■

सबसे युवा सांसद

देश में 2024 के लोक सभा चुनावों के परिणामों में सबसे युवा सांसद इस प्रकार हैं :

पुष्पेंद्र सरोज : उत्तर प्रदेश की कौशांबी लोकसभा सीट से विजयी समाजवादी पार्टी के श्री पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र में जीत दर्ज करने वाली उम्मीदवार बने हैं. पुष्पेंद्र सरोज की उम्र 25 साल 3 महीने है. उनका जन्म 1 मार्च 1999 को हुआ था. पुष्पेंद्र सरोज पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं. लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली पुष्पेंद्र सरोज ने इस बार 2019 में हुई पिता की हार का बदला ले लिया है. पुष्पेंद्र सरोज ने यूपी की कौशांबी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर को 1.03 लाख वोटों के अंतर से हराया है. पिछली बार यहां से इंद्रजीत सरोज की हार हुई थी.

प्रिया सरोज : उत्तर प्रदेश की मछलीशहर लोकसभा सीट से विजयी प्रिया सरोज की उम्र सिर्फ 25 वर्ष 7 महीने है. उन्होंने मौजूदा बीजेपी सांसद भोलानाथ को 35,850 वोटों के अंतर से हराया है. प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज भी तीन बार सांसद रह चुके हैं. वाराणसी के पिंडरा तहसील के करखियांव गांव की रहने वाली प्रिया सरोज पिछले 7 वर्षों से समाजवादी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी भागीदारी निभाती रही हैं. एलएलबी की डिग्री हासिल कर चुकीं प्रिया सरोज की स्कूली पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स गोल्डन जुबिली इंस्टीट्यूट से हुई है. वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुकी हैं.

शाम्भवी चौधरी : पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की पुत्रवधू शांभवी चौधरी ने इस बार चिराग पासवान की लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और महज 25 साल की उम्र में जीत का परचम लहराया है. बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाली शांभवी ने कांग्रेस के सनी हजारी को 187251 वोटों के अंतर से हराया. शांभवी चौधरी बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं. अशोक चौधरी हाल ही में कांग्रेस से जेडीयू में शामिल हुए थे. शांभवी के दादा भी कांग्रेस में रह चुके हैं. यानी वो अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी की नेता हैं. शांभवी चौधरी ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आर्ट्स में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है.

संजना जाटव : राजस्थान की भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली संजना जाटव ने 25 वर्ष की उम्र में जीत दर्ज की है. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप कोली को 51,983 वोटों के अंतर से मात दी है. ■

संसद में शेर शायरी

शेर और शायरी सम्प्रेषण की सामयिकता को धारदार बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं और संसद सदस्य भी इससे अछूते नहीं हैं. प्रस्तुत हैं संसद में कुछ सांसदों द्वारा प्रसिद्ध कवियों और शायरों की पढ़ी गयी पंक्तियों के कुछ दृष्टांत :

"न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है...." **– प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी**

"चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है चमन से बेवफाई का...जिन्होंने चमन को रौंद डाला अपने पैरों से, वे दावा कर रहे चमन की रहनुमाई का..." **– भाजपा सांसद राकेश सिंह**

"मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनों मैंने एक शम्मा जलाई है.." **– भाजपा सांसद राजनाथ सिंह**

"एक आंसू भी हुकुमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना" **– मल्लिकार्जुन खड़गे**

''जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं और क्या जुल्म है ये पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बंट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, ए जिंदगी बता कहां जाएं, बाजार में जहर मिलता नहीं, लोग टूट जाते हैं एक छोटा सा घर बनाने में, तुम तरस नहीं करते हो बस्तियां जलाने में" **– टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी**

"बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो इक कतरा–ए–खूं न निकला..." **– एनसीपी सांसद तारिक अनवर**

''बदलेगा ना मेरे बाद भी मौजूं ए गुफ्तगू, मैं जा चुका होउंगा फिर भी तेरी महफिल में रहूंगा'.' **–कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद**

जो तुझ से लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू बना ले इनको शस्त्र तू तू खुद की खोज में निकल'. **– भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल**

हर रोज गिरकर भी मुक्कमल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे कितने बड़े हैं'. **– भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल**

'हम को उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है **– डॉ. मनमोहन सिंह कांग्रेस सांसद**

कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता.' **– सुषमा स्वराज भाजपा सांसद**

''माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख.' **– डॉ. मनमोहन सिंह**

''ना इधर–उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है.' **–सुषमा स्वराज भाजपा सांसद**

लोक सभा में सक्रियता

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कुछ आंकड़ें जारी किये हैं जिनमे संसद में उपस्थिति अनुपस्थिति और सक्रियता पर सदस्यों का आकलन किया गया है. इसके अनुसार सबसे अधिक सवाल पूछने वाले शीर्ष 10 सांसद हैं, और पहले स्थान पर हैं बलूरघाट से भाजपा सांसद व पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। दरअसल सुकांत ने 17वीं लोकसभा के दौरान कुल 596 प्रश्न पूछे हैं। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 505 सांसदो ने 92,271 प्रश्न पूछे. संसद में सबसे अधिक उपस्थित रहने वाले सांसदों में भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत का नाम आता है। वहीं सबसे कम हाजिरी हरिद्वार के सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की रही है। अगर राज्य आधारित आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ व गुजरात के सांसद पहले स्थान पर हैं, जिनकी संसद में उपस्थिति सबसे अधिक रही है। इन राज्यों के सांसदों की औसत उपस्थिति 216 दिन दर्ज की गई है। वहीं उत्तराखंड के पांच सांसदों की औसत उपस्थिती 188 दिन दर्ज की गई है। साथ ही अगर पूछे गए प्रश्नों की बात करें तो महाराष्ट्र के सांसदों ने पिछले 5 सालों में 315 प्रश्न किये हैं.

संसद में सबसे अधिक सवाल पूछने वालों में भाजपा के सांसद डॉ. सुकांत मजूमदार हैं. उन्होंने सदन में कुल 596 सवाल अकेले ही पूछ डाले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर हैं मध्य प्रदेश की मदसौर लोकसभा से भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता। इन्होंने लोकसभा में कुल 586 सवाल पूछे हैं। वहीं तीसरे स्थान पर हैं बिद्युत बरन महतो। महतो भाजपा के टिकट पर जमशेदपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने सदन में कुल 580 सवाल किए हैं। ■

यह भी हुआ लोक सभा में

संसद में बाबरी विध्वंस पर चर्चा हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी बोलने खड़े हुए. स्पीकर के आसन पर चंद्रशेखर विराजमान थे. वाजपेयी ने बोलना शुरू किया तो रामविलास पासवान और शरद यादव ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया. चंद्रशेखर ने इन दोनों को टोका तो शरद ने कहा, अध्यक्ष महोदय आप बीच में न आइये. चंद्रशेखर ने गुस्से में कहा, जितनी आप दोनों की उम्र है उतना वाजपेयी जी का संसदीय जीवन है. मुझसे दबंगई न करो, यह सब सदन के बाहर कर के देखो एक बार, तुम्हारी पीढ़ियां भूल जाएँगी दबंगई करना. सदन में चंद्रशेखर के क्रोध को देखकर सन्नाटा छा गया. बाद में सदन के बाहर पासवान और शरद यादव ने अपनी घृष्टता के लिए चंद्रशेखर से क्षमा याचना की. ■

भारतीय संसद पर हमला

13 दिसंबर 2001 को नई दिल्ली, भारत में भारतीय संसद पर एक आतंकवादी हमला हुआ। यह हमला पाँच सशस्त्र हमलावरों द्वारा किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली पुलिस के छह कर्मियों, संसद सुरक्षा सेवा के दो कर्मियों और एक माली की मौत हो गई थी। सभी पाँच आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। भारतीय अधिकारियों ने लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद, पाकिस्तान से संचालित इन दो आतंकवादी समूहों पर हमले को अंजाम देने का आरोप लगाया. एलईटी ने इसमें शामिल होने से इनकार किया। 13 दिसंबर 2001 को, पांच आतंकवादी गृह मंत्रालय और संसद के लेबल वाली एक कार में संसद भवन में घुस आए। जबकि घटना से 40 मिनट पहले राज्यसभा और लोकसभा दोनों को स्थगित कर दिया गया था, माना जाता है कि संसद के कई सदस्य और सरकारी अधिकारी जैसे गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा राज्य मंत्री हरिन पाठक हमले के समय अभी भी भवन में थे। उस समय प्रमुख राजनेताओं सहित 100 से अधिक लोग संसद भवन के अंदर थे। बंदूकधारियों ने जिस कार को चलाया उस पर नकली पहचान स्टिकर का इस्तेमाल किया। बंदूकधारियों ने अपनी गाड़ी भारतीय उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जो उस समय इमारत में थे की कार में घुसा दी, और गोलीबारी शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति के गार्ड और सुरक्षाकर्मियों ने हमलावरों पर जवाबी गोलीबारी की और फिर परिसर के गेट बंद करने शुरू कर दिए।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने सबसे पहले आतंकवादियों को देखा और जैसे ही उन्होंने अलार्म बजाया, आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक बंदूकधारी की आत्मघाती जैकेट में विस्फोट हो गया जब उसे गोली मार दी गईय अन्य चार बंदूकधारी भी मारे गए। मंत्री और सांसद सुरक्षित बच गए। हमलावरों द्वारा मारे गए लोगों की कुल संख्या 9 थी और हमले में कम से कम 17 अन्य लोग घायल हुए थे। जिन पांच आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया उनके द्वारा बताए गए नाम थेः हमजा, हैदर उर्फ तुफैल, राणा, रणविजय और मोहम्मद –जो जैश–ए–मोहम्मद के सदस्य थे – मारे गए. दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बंदूकधारियों को पाकिस्तान से निर्देश मिले थे और ऑपरेशन पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के मार्गदर्शन में किया गया था।

हमले के बाद, कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 2002 में चार जैश–ए–मोहम्मद आतंकवादियों को हमले में भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया। 2003 में, सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जैश–ए–मोहम्मद के कमांडर–इन–चीफ और हमले के मास्टरमाइंड गाजी बाबा को मार गिराया। हमले के बाद व्यापक जांच शुरू हुई, जिसमें चार आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिनके नाम मोहम्मद अफजल गुरु, उनके चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु, सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और शौकत गुरु की पत्नी अफसान गुरु (प्रथम नामः नवजोत संधू) हैं।

नामित विशेष अदालत की अध्यक्षता एसएन ढींगरा ने की। आरोपियों पर चलाया गया मुकदमा लगभग छह महीने की रिकॉर्ड अवधि के भीतर समाप्त हो गया। अफजल गुरु, शौकत हुसैन और एसएआर गिलानी को आईपीसी की धाराओं के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। आरोपी 1 और 2 को पोटा की धारा 3(4) के तहत भी दोषी ठहराया गया। आरोपी 4, नवजोत संधू उर्फ अफसान को एक को छोड़कर अन्य आरोपों से बरी कर दिया गया, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था और पांच साल के कठोर कारावास और जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। अन्य तीन आरोपियों को अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। अफजल गुरु और शौकत हुसैन नाम के दो आरोपियों के कब्जे से बरामद दस लाख भारतीय रुपये की राशि पोटा की धारा 6 के तहत राज्य को जब्त कर ली गई थी। अपील पर, उच्च न्यायालय ने बाद में एसएआर गिलानी और अफसान को बरी कर दिया, लेकिन शौकत और अफजल की मौत की सजा को बरकरार रखा। गिलानी का प्रतिनिधित्व दिल्ली उच्च न्यायालय में और बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में राम जेठमलानी ने किया।

अफजल गुरु को भारतीय अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी और उसे 20 अक्टूबर 2006 को फांसी दी जानी थी, लेकिन उसकी फांसी पर रोक लगा दी गई थी। दया याचिका स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने के लिए उनके परिवार ने नई दिल्ली में डेरा डाला था। हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान कमलेश कुमारी जाटव के परिवार ने कहा है कि अगर राष्ट्रपति याचिका स्वीकार कर लेते हैं तो वे अशोक चक्र लौटा देंगे और 13 दिसंबर 2006 को मृतकों के परिवारों ने सरकार को पदक वापस कर दिए। अप्रैल 2007 तक, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। 3 फरवरी 2013 को उनकी दया याचिका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी थी। उन्हें 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फाँसी दे दी गई। शौकत हुसैन को उनके अच्छे आचरण के कारण रिहाई की निर्धारित तिथि से नौ महीने पहले रिहा कर दिया गया था।

दिल्ली पुलिस के जिन दो अधिकारियों, एसीपी राजबीर सिंह और मोहन चंद शर्मा को मामले में प्रथम दृष्टया सबूत जुटाने का श्रेय दिया जाता है उनमें सिंह की बाद में एक प्रॉपर्टी डील को लेकर उनके दोस्त ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और शर्मा की दिल्ली में आतंकवादियों के साथ बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हत्या कर दी गई थी। ■

संसदीय विशेषाधिकार

संसदीय विशेषाधिकार वे विशिष्ट अधिकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को, उसके सदस्यों को और समितियों को प्राप्त है। विशेषाधिकार इस दृष्टि से दिए जाते हैं कि संसद के दोनों सदन, उसकी समितियां और सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उनकी गरिमा बनी रहे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कानून की नजरों में साधारण नागरिकों के मुकाबले में विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों की स्थिति भिन्न है। सांसदों का सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है सदन और उसकी समितियों में पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखने की छूट। संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, कोई सदस्य न केवल उस समय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जबकि उस सदन का, जिसका कि वह सदस्य हो, अधिवेशन चल रहा हो या जबकि उस संसदीय समिति की, जिसका वह सदस्य हो, बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो, या जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ से 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति से 40 दिन बाद या जबकि वह सदन को आ रहा हो या सदन के बाहर जा रहा हो, तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

संसद के परिसरों के भीतर, सभापति की अनुमति के बिना, दीवानी या आपराधिक कोई कानूनी 'समन' नहीं दिए जा सकते हैं। संसद के परिसरों में केवल संसद के सदन के या अध्यक्ष/सभापति के आदेशों का पालन होता है। यहाँ अन्य किसी सरकारी प्राधिकारी के या स्थानीय प्रशासन के आदेश का पालन नहीं होता। संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकार का स्वयं ही रक्षक होता है। विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने वाले को भर्त्सना करके या ताड़ना करके या निर्धारित अवधि के लिए कारावास द्वारा दंडित कर सकता है। स्वयं अपने सदस्यों के मामले में सदन अन्य दो प्रकार के दंड दे सकता है, अर्थात सदन की सेवा से निलंबित करना और निकाल देना, किसी सदस्य को एक निर्धारित अवधि के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जा सकता है। किसी अति गंभीर मामले में सदन से निकाला जा सकता है। दर्शकों द्वारा गैलरी में नारे लगाकर और/अथवा इश्तिहार फेंककर सदन की अवमानना करने के कारण, दोनों सदनों ने, समय समय पर, अपराधियों को सदन के उस दिन स्थगित होने तक कारावास का दंड दिया है। सदन का दांडिक क्षेत्र अपने सदनों तक और उनके सामने किए गए अपराधों तक ही सीमित न होकर सदन की सभी अवमाननाओं पर लागू होता है। चाहे अवमानना सदस्यों द्वारा की गई हो या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो सदस्य न हों एवं अपराध सदन के भीतर किया गया है या उसके परिसर से बाहर। सदन का विशेषाधिकार भंग करने या उसकी अवमानना करने के कारण व्यक्तियों को दंड देने की सदन की यह शक्ति संसदीय विशेषाधिकार की नींव है। सदन की ऐसी परंपरा भी रही है कि सदन का विशेषाधिकार भंग करने या सदन की अवमानना करने के दोषी व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से और बिना किसी शर्त के दिल से व्यक्त किया गया खेद सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ■

राज्यीय दल

वे दल जिनके पास एक राज्य में पर्याप्त वोट या सीटें हों, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा राज्य पार्टी के रूप में अधिकृत किया जा सकता है। संबंधित राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यता मिलने से दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आरक्षित करने का विकल्प मिल सकता है। एक पार्टी को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो सकती है। भारत में किसी भी राजनैतिक दल को राज्यीय दल की मान्यता चुनाव प्रतीक अधिनियम, 1968 के अनुसार प्रदान की जाती है जो कि निम्नलिखित हैः

राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु शर्तें – एक राजनैतिक दल किसी राज्य में राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का पात्र होगा यदि, और केवल यदि, निम्न में से कोई भी शर्त पूरी होती है –

– राज्य के पिछले विधानसभा चुनावों में, दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों ने राज्य में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत मत प्राप्त किये हों और, साथ ही, उन चुनावों में उस राज्य की विधानसभा में दल के कम से कम दो प्रत्याशी विधायक चुने गए हों अथवा पिछले लोकसभा चुनावों में उस राज्य से, दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों ने राज्य में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत मत प्राप्त किये हों और, साथ ही, उन चुनावों में उस राज्य से लोकसभा में दल का कम से कम एक प्रत्याशी सांसद चुना गया हो अथवा राज्य के पिछले विधानसभा चुनावों में, दल ने विधानसभा सीटों की कुल संख्या का कम से कम 3 प्रतिशत सीटें, अथवा कम से कम 3 सीटें (जो भी अधिक हो) जीती हों अथवा पिछले लोकसभा चुनावों में उस राज्य से, प्रत्येक 25 सीटों पर दल का कम से कम एक सदस्य चुना गया हो अथवा राज्य में हुए पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में, दल के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों ने राज्य में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 8 प्रतिशत मत प्राप्त किये हों।

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना अनुसार देश के कुल 58 दलों को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है। देश के चार राज्यों म.प्र., गुजरात, हिमाचल, उत्तराखण्ड व केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में कोई भी दल राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ■

राष्ट्रीय दल

भारत में किसी भी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) अधिनियम, 1968 के पैराग्राफ 6ख के अनुसार प्रदान की जाती है जो कि निम्नलिखित हैः

राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु शर्तें – एक राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का पात्र होगा यदि, और केवल यदि, निम्न में से कोई भी शर्त पूरी होती है –

1. कोई पंजीकृत दल तीन विभिन्न राज्यों में लोक सभा की कुल सीटों की कम से कम 2 प्रतिशत सीटें हासिल की हों।
2. कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोक सभा या विधान सभा चुनाव में कम से कम 6 प्रतिशत मत पाये हों और लोक सभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों।
3. किसी भी दल को कम से कम चार या उससे अधिक राज्यों में राज्यीय दल की मान्यता प्राप्त हो। ■

ऐसे भी हैं हमारे सांसद

तुलमोहन राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिहार में अररिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 5वीं लोकसभा के सदस्य थे। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान, तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय से लाइसेंस जारी करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में राम पर आरोप लगाया गया था। एल.एन. मिश्रा उस समय विदेश व्यापार मंत्री थे।

यदि इतिहास ''उन चीजों का योग है जिन्हें टाला जा सकता था'', तो 1993 को उन घिनौनी घटनाओं का वर्ष माना जाएगा जिन्हें टाला जाना चाहिए थाः यह वह वर्ष था जब भारत में भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में नौकरशाहों का भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि संसद सदस्यों का भ्रष्टाचार शामिल था। 28 जुलाई को, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा और जनता दल के 10 सांसदों ने पीवी नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार के खिलाफ लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को हराने के लिए अपने वोट डाले। सीबीआई ने उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए और कहा कि ऐसा करने के लिए उन्हें रिश्वत मिली थी। चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद के किसी भी सदस्य को संसद में दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया।

लोक सभा सचिवालय ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों के सवाल पर सरकार की तरफ से दिए जाने वाले जवाबों की गोपनीयता पर जोर दिया है। लोक सभा ने साफ किया है कि सांसद अपने पोर्टल का उपयोग केवल खुद करें। 'कैश फॉर–क्वेरी' विवाद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर अपनी लॉग–इन आईडी–पासवर्ड शेयर करने के आरोप लगे थे. लोकसभा सचिवालय ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को जारी बयान में कहा, संसद में सवालों पर सरकार का जवाब गोपनीय होता है। सरकार के जवाब सांसदों को मुहैया कराई गई आईडी–पासवर्ड से सुरक्षित होते हैं। सांसदों का पोर्टल लॉग–इन आईडी और पासवर्ड से सुरक्षित हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल केवल सदस्यों को खुद ही करना चाहिए। आईडी–पासवर्ड किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहिए। इस विवाद की समीक्षा के बाद लोकसभा आचार समिति ने मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की थी.■

संसद की सुरक्षा में एक और सेंध

गतवर्ष 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे आत्मदाह करने और पर्चे बांटने की योजना बना रहे थे, उसके बाद उन्होंने धुआं छोड़ने वाले कनस्तरों के साथ लोकसभा कक्ष में कूदने की योजना बनाई थी। संसद की सुरक्षा भंग करने की योजना 2001 के संसद आतंकी हमले की वर्षगांठ पर अंजाम दिए जाने से पहले महीनों तक सावधानीपूर्वक बनाई गई थी। दो लोग– सागर शर्मा और मनोरंजन डी. शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए। उन्होंने कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और सांसदों द्वारा पकड़े जाने से पहले सत्ता–विरोधी नारे लगाए। दो प्रदर्शनकारियों– नीलम (42) और अनमोल (25) ने संसद के बाहर इसी तरह के गैस कनस्तरों के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। गुरुवार को चारों लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सात दिन की हिरासत में भेज दिया गया।संसद सुरक्षा भंग के मुख्य साजिशकर्ता ललित झा से दो पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) और अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की। जांच से अवगत दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा कक्ष में घुसने की योजना को अंतिम रूप देने से पहले कुछ ऐसे तरीकों पर विचार किया था, जो सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने में प्रभावी हो सकते थे। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने अपने शरीर को अग्निरोधक जेल से ढककर आत्मदाह करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। ■

पेपर लीक और नीट

– दिलीप जैमिनी

यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस परीक्षा के पेपर को रद्द कर दिया है। कुछ समय पहले ऐसी शिकायतें की गई थीं कि ये पेपर लीक हुआ है। यह पहला अवसर नहीं है. जब देश में पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी देश के अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग सरकारों ने पेपर रद्द किए हैं। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सात वर्षो में अलग–अलग राज्यों में 1.5 करोड़ से अधिक छात्र पेपर लीक होने के कारण प्रभावित हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो, बीते सात सालों में देश के अलग–अलग राज्यों में 70 से ज्यादा पेपर लीक के मामले दर्ज हुए हैं।

थोड़ा इतिहास में चलें तो बीते कुछ सालों में गुजरात में 14 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। जीपीएससी मुख्य अधिकारी, शिक्षक योग्यता परीक्षा, मुख्य सेविका, लोक रक्षक दल, गैर–सचिवालय क्लर्क, हेड क्लर्क, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय पेपर लीक, जीएसएसएसबी पेपर लीक, जूनियर क्लर्क परीक्षा, वन रक्षक परीक्षा, उप –ऑडिटर जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। यही स्थिति राजस्थान की है जहाँ 2015 – 2023 के बीच विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के 13 से अधिक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) और राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयीय सेवा चयन बोर्ड जैसे परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो चुके हैं। बंगाल में पश्चिम बंगाल बोर्ड परीक्षा के पेपर पिछले सात वर्षों में 10 बार लीक हो चुका है। बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी पेपर लीक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2017–2022 के बीच पेपर लीक के आठ मामले सामने आ चुके हैं। इंस्पेक्टर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी), प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, एनईईटी–यूजी परीक्षा और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। बिहार में कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं। लीक हुए पेपर में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (बीएसईबी) के इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षाएं शामिल है। बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा का पेपर अबतक छह बार लीक हो चुका है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना में तेलंगाना लोक सेवा आयोग पेपर लीक के मामले सामने आए थे। इस परीक्षा में 25000 से भी ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था। तमिलनाडु में भी 2022 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा पेपर लीक हो चुका है। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) और महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (एमएसबीएसएचएसई) के परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। निजी और संगठनात्मक कौशल अपराध जगत में नयी ऊँचाई छू रहा है. हमने पूर्व में मध्य प्रदेश में व्यापम का बड़ा काण्ड देखा है जिसमे पेपर लीक की जगह सॉल्वर और राजनेताओं द्वारा अपनी पसंद के लोगों का चयन करवाया गया. यही स्थिति पटवारी परीक्षा में रही जिसमे स्पर्धा की शीर्ष पर बैठी एक लड़की प्रदेश के एक संभाग में जिलों के नाम नहीं बता पायी.

नीट एक ऐसी परीक्षा है जिसमे 45 लाख छात्र भाग लेते हैं. वर्ष 2024 की परीक्षा में हुई परीक्षा में कई स्तरों पर समीक्षा और जांच चल रही है। ईओयू ने पूरे मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। इधर ईओयू और बिहार पुलिस की टीमें बिहार से लेकर झारखंड तक ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपितों और संदिग्धों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई हैं। अब तक कई दर्जन आरोपी व छात्रों को हिरासत में लिया जा चुका है। इन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि हमारे कुछ अभ्यर्थी पटना के विभिन्न सेंटरों पर परीक्षा दे रहे हैं। सेट अभ्यर्थियों को वे प्रश्न का उत्तर रटाने के लिए ले गए हैं।

10 मई को आर्थिक अपराध इकाई ने नेट पेपर लीक की जांच संभाल ली। इसके बाद ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने डीआइजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया। इसके बाद पेपर लीक की कड़ियां तलाशी जाने लगी। 12 जून को ईओयू ने एनटीए से नीट प्रश्नपत्र की मांग की, ताकि प्रश्नों का मिलान हो सके। 18 और 19 जून को नौ अभ्यर्थियों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसमें बख्तियारपुर और समस्तीपुर की दोनों छात्राएं थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 20 जून को ईओयू से जांच रिपोर्ट मांगी। ईओयू की अग्रतर जांच में झारखंड कनेक्शन मिला ही, पेपर लीक मामले में नालंदा के संजीव मुखिया के साथ रवि अत्री गिरोह का भी नाम सामने आया। 22 जून को ईओयू की सूचना पर झारखंड के देवघर की पुलिस छापेमारी करने में जुट गई। एक किराये के कमरे से छह लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी बिहार के नालंदा के निवासी है। उन सभी से पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट–यूजी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई एनटीए के अधिकारियों की भी भूमिका की जांच करेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा. कानून तो धारा 302 का भी बना हुआ है जिसमें उम्रकैद और फांसी के प्रावधान है। इसके बावजूद भी हत्या की वारदातें होती है। ऐसे में सिर्फ नकल विरोधी कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। सरकार को भर्ती परीक्षाओं के सिस्टम को सुधारना होगा। सिस्टम सुधरेगा तभी गरीब के बच्चे को नौकरी मिल सकेगी। वरना अमीरों की औलादें नकल और पेपर लीक गिरोह वालों से पेपर खरीदकर नौकरी हथियाते रहेंगे। ■

संदर्भवश

–सात दशक, माननीय सभासदो, माननीय सभापति की आवाज के 7 दशकों के अंतराल के बाद, लोक सभा में बहस का मुद्दा यह है कि हिन्दू हिंसक है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिन्दू पार्टी है या नहीं. शायर कहता है ''जब कुछ न बन सके तो समशा बना लिया''. हम सब उत्तरदायी हैं इस विखंडन के लिए. अधिक पुरानी बात नहीं हुई है जब 400 पार के साथ संविधान संशोधन को जोड़ा गया, किसका मंगल सूत्र उतार कर किसे दिया जा सकता है इस बात पर चर्चा जान सभाओं में होती देखी गयी. पाकिस्तान के स्तम्भकार हसन निसार के शब्द हैं ''अपनी मंजी तल्ले डांग फेरो'', अपनी चारपाई के नीचे बांस घुमा कर देखो. उसके नीचे हैं गरीब अमीर का बढ़ता अंतर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का गिरता स्तर, बेरोजगारी का विकराल स्वरुप. शांति से बैठकर सोचने की आवश्यकता है, अमीर मीनाई के शब्द हैं, शब–ए–फुर्कत का जागा हूँ फरिश्तो अब तो सोने दो,कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब आहिस्ता आहिस्ता. देश के सामने बड़े मसले हैं हिन्दू मुस्लिम से, जातिगत जनगणना से, इसे समझ लेने में और देर क्षम्य नहीं होगी.

–अग्निवीर और किसान दो ऐसे मुद्दे हैं जिनपर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, आम सहमति लोकतंत्र की सुगंध है. आशा की जानी चाहिए, सरकार और विपक्ष दोनों का रुख इन मसलों को सुलझाने पर केंद्रित होगा इस वर्तमान सत्र में.

–आवश्यकता अविष्कार की जननी है. मध्यप्रदेश के हरदा में हिरन के शिकारियों से बन्दूक जब्त होने पर पाया गया कि उन्होंने वह बन्दूक घर में बनाई थी. नवोन्मेष का इससे बड़ा दुरूपयोग इतिहास में कम देखा गया है.

–विश्व कप में भारत का प्रदर्शन कम से कम अंतिम क्षणों में, पूरे देश ने सांस रोक कर देखा, एक असंभव कैच लेकर सूर्यकुमार यादव ने क्रिकेट में इतिहास तो रचा ही, भारत के लिए एक गौरव के क्षण को दर्ज करने में सफलता पायी. पूरी टीम को बधाई.

–मध्य प्रदेश सरकार ने 52 वर्ष पुराने एक निर्णय को पलट दिया है जिसमे मंत्रियों के वेतन पर आयकर शासन द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था थी. नैतिकता और तर्क के आधार पर यह निर्णय एकदम खरा बैठता है. जब देश के राष्ट्रपति अपने वेतन पर लगने वाला आयकर अपनी जेब से देते हैं तो राज्य के मंत्रियों पर भी यह बात लागू होती है. जब यह घोषणा विधान सभा में हुई तब विधान सभा अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता ने भी अपने वेतन पर आयकर स्वयं भरने की घोषणा की. यह प्रयास स्वागतेय है.

–इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता एक जुलाई से लागू हो गयी है. अदालत में आरोपी को हथकड़ी लगाकर लाया जाना, राजद्रोह कानून की पिछले दरवाजे से वापसी, 60 से 90 दिन तक जमानत न होने के प्रावधान और प्राथमिकी दर्ज न करने के पुलिस के अधिकार जैसे कुछ बिंदु न्यायसंहिता के कमजोर पक्ष हैं. आशा की जानी चाहिए कि समय समय पर इसमें सुधार कर इस संहिंता को और कारगर बनाने की दिशा में काम होगा.

– नैरेटिव गढ़ने का अपना अलग तिलिस्म है, हिंदू हिंसक है के बयान पर प्रतिक्रिया बड़ी पारंपरिक होती जा रही है. थोड़ा तो हिंसक है, हिंसक हो गया है, हो सकता है, क्या सच में हिंसक है ? मूल बात यह है कि सदन और गंभीर और जनकल्याण की ओर उन्मुख हो सकता था, किसी जाति या समूह को हिंसक या अहिंसक होने के प्रमाण पत्र जारी करने का मंच नहीं है लोक सभा.

– महाराष्ट्र में हिट एंड रन के मामले बढ़ते जा रहे हैं. मुंबई के बाद अब एक बार फिर एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है. जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है. जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है. घटना 7 और 8 जुलाई की दरमियानी रात 2 बजे ओल्ड पुणे–मुंबई राजमार्ग पर हैरिस ब्रिज के नीचे हुई. सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है. हमारे देश में, विश्व से तुलनात्मक रूप से प्रति व्यक्ति सबसे कम वाहन होने के बावजूद, अधिकतम सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और इन दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु के आंकड़े डराने वाले हैं.

– उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में 120 निर्दोष लोगों की मृत्यु खेद का विषय है. विश्वास और श्रद्धा दोनों के पीछे तर्क काम नहीं करते. प्रशासन पर कितने ही दोष मढ़े जाएँ इतनी बड़ी भीड़ का नियंत्रण लगभग असंभव होता है. ऐसी ही दुर्घटना होते–होते रह गई थी जब फर्रुखाबाद में वर्ष 2022 में प्रशासन ने 50 लोगों को सहभागिता की अनुमति दी थी तब 50 हजार की भीड़ उमड़ पड़ी थी. भीड़, भगदड़ और मौतों का यह तांडव हमने लम्बे अरसे के दुर्भाग्यपूर्ण बिंदुओं पर कभी 1954 के कुम्भ में, 94 के नागपुर गौरी गवरी आंदोलन में, 2010 में प्रतापगढ़ में कृपालु महाराज के समागम में, 2013 में प्रयागराज कुम्भ में देखा है. धर्मगुरुओं और प्रशासन द्वारा किसी समागम में पूर्व योजना तैयार किया जाना ही एक संभावित मार्ग है ऐसी विकराल घटनाओं को टालने का. दोषारोपण कोई मार्ग नहीं है. हाथरस में जो हुआ वह दुखद अप्रत्याशित और भीड़ नियंत्रण में प्रशासन की असफलता का एक कीर्तिमान तो है ही. उल्लेखनीय है कि निरपराध लोगों का ऐसी दुर्घटनाओं में निधन एक दुखद घटना है. मृतकों को नवलय की श्रद्धांजलि।■

क्या आप

प्रतिदिन 2.75 रू. वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिये दान कर सकते हैं?

यदि हाँ ! तो इस अभियान का अंग बनिये।
कम से कम 1000 रू. सालाना दान करें।

नवलय ज्ञानदान

चलो जलायें दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है।

योजना प्रारम्भ से अब तक, वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु ₹ 5,49,344/- की सहायता दी जा चुकी है

Scan here to pay

NAVALAY HUZUR

क्यू आर कोड को स्केन कर राशि प्रेषित कर सकते हैं।

नवलय अनुबोध

इस माह सहयोग राशि भेजने वाले

1. श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी, भोपाल 2. श्री बी. के. गुप्ता, भोपाल 3. श्री अभिषेक सक्सेना, शुजालपुर

द्विवार्षिक रू. 500/- वार्षिक सहयोग राशि रू. 300/- का भुगतान

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्ड्या की किसी भी शाखा में/ नेट बैंकिंग/गूगल पे/पेटीएम से कर सकते हैं

खाते का नाम - नवलय अनुबोध (Navalaya Anubodh)

खाता क्र. - 3018974905

बैंक - सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जेल रोड, भोपाल

IFSCode – CBIN 0283134

NAVLAYA ANUBODH

10302432@cbin

पत्रिका की मुद्रित प्रति के लिये

आपका डाक का पता व प्रेषित राशि की सूचना मो. क्र. 9755380050 पर भेजें

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

अब मिलेगी समय पर सहायता...

सड़क, औद्योगिक दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नि:शुल्क वायु परिवहन सेवा

पीएमश्री

एयर एम्बुलेंस सेवा

संचालन प्रारंभ

D16008/24

" हमारी सरकार प्रदेश की जनता को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हुए स्वस्थ मध्यप्रदेश के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। अब प्रदेश में गंभीर रोगियों को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए उचित समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा "

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 9111777858

सशुल्क एयर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, सम्पर्क करें : 0755-4092530

- आयुष्मान कार्ड धारक को प्रदेश व देश में कहीं भी इलाज हेतु शासकीय और आयुष्मान सम्बद्ध अस्पताल में नि:शुल्क सुविधा
- आयुष्मान कार्ड धारक न होने पर प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में नि:शुल्क परिवहन सुविधा जबकि प्रदेश के बाहर निर्धारित शुल्क पर परिवहन सुविधा
- सड़कों या औद्योगिक स्थलों पर होने वाली दुर्घटना, हृदय रोगी या जहर से प्रभावित व्यक्ति को अब मिल सकेगा अच्छे चिकित्सा संस्थानों में समय पर इलाज
- अस्पताल द्वारा मरीज की स्थिति की गंभीरता की जांच के उपरांत मिल सकेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा

एयर एम्बुलेंस सेवा की अनुमति

- दुर्घटना प्रकरण में संभाग के अंदर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा
- दुर्घटना अथवा अन्य आपदा की स्थिति में संभाग के बाहर परिवहन हेतु स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा
- दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य गंभीर प्रकरणों में प्रदेश के अंदर संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त द्वारा
- प्रदेश के बाहर गंभीर रोगी या दुर्घटना पीड़ित आयुष्मान कार्डधारी होने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा
- सशुल्क परिवहन हेतु एन.एच.एम. कार्यालय स्तर पर अनुमति मिलेगी

- रोगी/पीड़ित को एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए संजीवनी 108 एम्बुलेंस होगी उपलब्ध
- एयर एम्बुलेंस सेवा में हृदय रोग, श्वास और तंत्रिका संबंधी बीमारियों, नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याएं, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण तथा आपदा की स्थिति को संभालने के लिये प्रशिक्षित चिकित्सक और पेरा मेडिकल स्टाफ रहेगा मौजूद
- हवाई परिवहन के दौरान रोगी/पीड़ित के लिए ₹ 50 लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

मध्यप्रदेश शासन

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2024

डाक पंजीयन- म.प्र./भोपाल/4-167/2024-26

RNI - MPBIL/2008/26448

मोदी की गारंटी
यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी

मध्यप्रदेश का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

मध्यप्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर चिन्हित एक शासकीय महाविद्यालय का पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन, इसके लिए **₹ 460 करोड़** का प्रावधान

महाविद्यालयों में सभी प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे उपलब्ध

अब 'डीजी लॉकर' से डिग्री और मार्कशीट की उपलब्धता सुलभ

युवाओं में क्षमताओं का निर्माण कर, उन्हें कौशलवान और रोज़गार सक्षम बनाने में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस अहम भूमिका निभाएंगे।

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

D16008/24

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

प्रकाशक एवं मुद्रक राकेश कुमार जैन द्वारा स्वामित्व नवलय के लिए 54, जोन-2, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से प्रकाशित एवं श्री श्रद्धा ऑफसेट प्रिंटर्स, एस-बी-2, लोअर ग्राउण्ड, विजय स्तम्भ, एम.पी. नगर, भोपाल द्वारा मुद्रित